Gokhale Memorial Girls' College

Date:14/04/2023

To whom it may concern

Subject: Completion of Term Paper by HINA students of Semester IV in 2021-22

The undersigned hereby certifies that the students mentioned in the table given below have completed their Term Papers for the University of Calcutta B.A/B.Sc. Semester-IV Examination, 2022 in CC-8 course of Hindi Honours. These students are mentioned in the modified template of Metric 1.3.2 (for DVV compliance) as HINA (SEM IV) with pdf link of their projects stated alongside.

SL.NO.	REGISTRATION NO.	COLLEGE ROLL NO.	NAME	SUBJEC
1	013-1211-0054-20	20/BAH/0094	PAYAL THAKUR	HINA
2	013-1211-0055-20	20/BAH/0081	VIDDHI PANDEY	HINA
3	013-1211-0078-20	20/BAH/0026	DISHA BANERJEE	HINA
4	013-1211-0079-20	20/BAH/0097	GHOSH PRITI AMARNATH	HINA
5	013-1211-0085-20	20/BAH/0111	ANJALI PRASAD	HINA
6	013-1211-0006-20	20/BAH/0009	JAGRANI PANNA	HINA
7	013-1211-0338-20	20/BAH/0102	PRERANA MISHRA	HINA

Principal
Gokhale Memorial Girls' College

1/1 Harish Mukherjee Road, Kokata - 700 020
Phone : 2223-2355, 2223-8287, 2223-0027 • E-mail-gokhalecollegekolkata@gmail.com
website - www.gokhalecollegekolkata.edu.in

GOKHALE MEMORIAL GIRLS' COLLEGE
ESTD 1938

Name - Payal Thakur

University Reg. No. - 013-1211-0054-20

University Roll No. - 202013-11-0042

College Roll No. - 20/BAH/0094

Semester - 4

Authenticated
Principal
Gokhale Memorial Girls' College

Subject Code - HINA

Paper Code - CC4.8

भाषा

विज्ञान

14/15

[illegible] 18/06/2022

Kolkata

विषय सूची

क्रमिक सं०	विषय	पृष्ठ सं०
1.	भाषा विज्ञान की परिभाषा।	1-3
2.	भाषा विज्ञान के अंग।	4
3.	भाषा विज्ञान का मनुष्य के अन्य ज्ञानों से सम्बन्ध।	5-6
4.	भाषा विज्ञान के अध्ययन से लाभ	7-8
5.	निष्कर्ष	9

Kolkata

भाषा विज्ञान की परिभाषा

अध्ययन के विषयों में भाषा-विज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान है। अपने-अपने आधुनिक रूप में भाषा-विज्ञान पाश्चात्य विद्वानों की देन है। भारत में भी इसके अध्ययन की परम्परा प्राचीन काल से उपलब्ध होती है। शिक्षा, निरुक्त, प्रातिशाख्य, महाभाष्य और वाक्यपदीयम् के अतिरिक्त भारतीय दर्शन-ग्रन्थों तथा साहित्यशास्त्रीय ग्रन्थों में भाषा विचार-विषयक सामग्री उपलब्ध होती है। आधुनिक भाषा विज्ञान प्रारम्भ सन् 1786 ई० में सर विलियम जॉन्स द्वारा किया गया। इन्होंने संस्कृत भाषा का अध्ययन करते समय संस्कृत की लैटिन और ग्रीक से अनेक अंशों में समानता प्राप्त की और इसके तुलनात्मक अध्ययन पर बल दिया था। सर विलियम जॉन्स द्वारा डाली गयी नींव ही आज भाषा-विज्ञान के रूप में प्रसिद्ध है।

पाश्चात्य देशों में भाषा-विज्ञान का नामकरण विभिन्न रूपों में किया गया है। सर्वप्रथम इसे कम्परेटिव ग्रामर नाम दिया गया। बाद में कम्परेटिव फिलॉलोजी नाम दिया गया, भाषा-विज्ञान सदा तुलनात्मक ही होता है, अतः इसके लिए केवल फिलॉलोजी नाम अधिक पसंद किया गया। फिलॉलोजी के लिये अंग्रेजी में 'साइन्स ऑफ लैंग्वेज' नाम प्रचलित है। भाषा विज्ञान के लिए डेविड ने ग्लासोलॉजी तथा प्रस्तावित किये। किन्तु ये नाम प्रचलन में नहीं

आ सके, फ्रांस में भाषा-विज्ञान के लिये लिंग्विस्टिक शब्द का प्रचलन हुआ, जिसे बाद में अंग्रेजी में लिंग्विस्टिक के नाम से प्रचलन में लाया गया। यह शब्द लैटिन के लिंग्ुआ से बना है।

'फिलॉलोजी' शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है - फिलोस तथा लेगिया। आज भाषा-विज्ञान के लिए लिंग्विस्टिक और फिलॉलोजी दो ही शब्द का प्रयोग होता है। इसमें लिंग्विस्टिक शब्द अधिक प्रचलित है।

परिभाषाएँ :-

इस प्रकार 'भाषा' के विशिष्ट ज्ञान को भाषा विज्ञान कहते हैं। भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने भाषा विज्ञान की अनेक परिभाषाएँ दी हैं। कुछ परिभाषाएँ इस प्रकार हैं -

डॉ० श्याम सुन्दर दास - भाषा-विज्ञान उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें भाषा मात्र के भिन्न-भिन्न अंगों और स्वरूपों का विवेचन तथा निरूपण किया जाता है।

डॉ० मंगलदेव शास्त्री - भाषा-विज्ञान, भाषा की उत्पत्ति, उसकी बनावट, उसके विकास तथा उसके ह्रास की वैज्ञानिक व्याख्या करता है।

डॉ० देवेन्द्रनाथ शर्मा – भाषा विज्ञान का सीधा अर्थ है, भाषा का विज्ञान और विज्ञान का अर्थ विशिष्ट ज्ञान। इस प्रकार भाषा का विशिष्ट ज्ञान भाषा विज्ञान कहलायेगा।

डॉ० बाबूराम सक्सेना। – भाषा विज्ञान का अभिप्राय भाषा का विश्लेषण करके इसका निदर्शन करना है।

Gokhale Memorial Girls' College
Kolkata

भाषा विज्ञान के अंग

भाषा विज्ञान को विविध अंग या भागों में विभाजित करके उनका अध्ययन किया जाता है। यह विभाजन दो भागों में किया गया है।

1) प्रमुख अंग - भाषा के चार प्रमुख अंग माने गये हैं - 1. ध्वनि, 2. पद या शब्द, 3. वाक्य, 4. अर्थ। इनमें से प्रत्येक के विशेष अध्ययन के कारण भाषा-विज्ञान के चार प्रमुख अंग विकसित हो गये -

1) ध्वनि - विज्ञान (Phonology)
2) पद - विज्ञान (Morphology)
3) वाक्य - विज्ञान (Syntax)
4) अर्थ - विज्ञान (Semantics)

Gokhale Memorial Girls College Kolkata

2) गौण अंग भाषा विज्ञान में कतिपय अन्य विषयों पर भी विवेचन किया जाता है, उन्हें इसका गौण अंग कह सकते हैं, ये गौण अंग हैं -

1) भाषा की उत्पत्ति (origin of language)
2) भाषाओं का वर्गीकरण (classification of language)

भाषा विज्ञान का मनुष्य के अन्य ज्ञानों से संबंध

ज्ञान अपने विराटतम रूप में अखण्ड है। तत्वत: उसे अलग-अलग शास्त्रों तथा विज्ञानों आदि में इस प्रकार नहीं विभाजित किया जा सकता है कि एक-दूसरे से पूर्णतः अलग हो। केवल सुविधा के लिए अखण्ड ज्ञान को हमने अलग-अलग विज्ञानों एवं शास्त्रों आदि में विभाजित कर रखा है। इस तरह अखण्ड ज्ञान का यह विभाजन केवल व्यावहारिक है, तात्विक नहीं। यदि इस तात्विक स्थिती का ध्यान रखें तो स्पष्ट ही एक अखण्ड ज्ञान के कारण सभी ज्ञान-विज्ञान किसी न किसी रूप में एक-दूसरे से सम्बद्ध है।

ऊपर तात्विक दृष्टि से बात कही जा रही थी। व्यावहारिक दृष्टि से मनुष्य ने अपनी ज्ञान की सीमा और अध्ययन-विश्लेषण की सुविधा के अनुसार अखण्ड ज्ञानक्षेत्र को कुछ विभागों में बाँट रखा है जिसको उसने अलग-अलग विज्ञानों एवं शास्त्रों आदि की संज्ञा दी है। इन ज्ञानों, विज्ञानों एवं शास्त्रों में कुछ तो सामान्य और व्यावहारिक धरातल पर एक-दूसरे से बहुत संबद्ध नहीं कहे जा सकते जैसे साहित्य और गणित, रसायनशास्त्र और भाषा विज्ञान, काव्यशास्त्र और भौतिकशास्त्र या वनस्पतिशास्त्र और दर्शनशास्त्र आदि। दूसरी ओर ज्ञान के

ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जो एक-दूसरे से संबद्ध हैं। यह संबंद्ध कई प्रकार का है। उदाहरण के लिए कुछ तो एक-दूसरे के पूरक जैसे होते हैं और कुछ का तो आपस में ऐसा सम्बन्ध होता है कि एक की जानकारी के बिना दूसरे का अध्ययन प्रायः असम्भव है। दोनों अन्योन्याश्रित होते हैं। भाषाविज्ञान से भी अनेक ज्ञानों, विज्ञानों एवं शास्त्रों के अनेक स्तरों में विशिष्ट प्रकार के सम्बन्ध हैं। यहाँ कुछ प्रमुख के साथ भाषा-विज्ञान के सम्बन्ध को स्पष्ट किया जा रहा है –

क) व्याकरण – भाषा विज्ञान और व्याकरण एक-दूसरे के इतने समीप हैं कि कभी-कभी दोनों को एक या भाषा-विज्ञान को व्याकरण तथा व्याकरण को भाषा विज्ञान मानने का लोगों को हो जाता है। ये दोनों में अन्तर स्पष्ट है। व्याकरण को [illegible] शास्त्र कह सकते हैं।

ख) साहित्य – भाषाविज्ञान भाषा के अध्ययन के लिए सारी सामग्री साहित्य से लेता है। यदि आज संस्कृत अवेस्ता या ग्रीक साहित्य हमारे सामने न होता तो किस आधार पर भाषा विज्ञान कह पाता या जान पाता कि तीनों भाषाएँ किसी एक मूल भाषा से निकली है।

ओना मासी धम,
बाप पढ़े न हम।

सुनकर जब भाषा विज्ञान का कान खड़ा होगा कि यह 'ओना मासी धम' क्या बला है तो प्राचीन साहित्य का अध्ययन उसे बतलायेगा कि शाकटायन के प्रथम सूत्र 'ॐ नमः सिवाय'।

भाषा विज्ञान के अध्ययन से लाभ

इस विषय पर ऊपर तथा आगे भी यत्र-तत्र विचार किया गया है। यहाँ संक्षेप में कुछ प्रमुख बातें गिनाई जा रही हैं —

1. अपनी चिरपरिचित भाषा के सम्बन्ध में जिज्ञासा की तृप्ति।

2. प्राचीन तथा प्रागैतिहासिक संस्कृति पर प्रकाश।

3. किसी जाति या सम्पूर्ण मानवता के मानसिक विकास का प्रत्यक्षीकरण।

4. प्राचीन साहित्य के अर्थ, उच्चारण तथा प्रयोग आदि से सम्बद्ध समस्याओं का समाधान।

5. पूरे विश्व के लिए एक कृत्रिम भाषा का विकास।

6. मातृभाषाओं तथा विदेशी भाषाओं के सीखने में द्रुतता, सरलता और शुद्धता।

7. एक भाषा से दूसरी भाषा में सटीक अनुवाद में सहायक।

8. ऊपर कहा जा चुका है कि अर्थविज्ञान को कुछ लोग मेटालिंग्विस्टिक कहकर उसे भाषाविज्ञान से बाहर रखते हैं। इसी प्रकार फोनेटिक्स को कुछ

लोग पोलिटिकल मानकर इसके शुद्ध सैद्धांतिक रूप को भाषाविज्ञान से बाहर रखना चाहते हैं। जाति-भाषाविज्ञान इसमें जातिविज्ञान और भाषाविज्ञान का इतिहास आदि का भी अध्ययन भाषाविज्ञान के अन्तर्गत किया जाता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त भाषा के विविध-रूपों (भाषा, बोली, अबोली आदि) इन रूपों के बनने के कारण भाषा की प्रकृति तथा भाषा विज्ञान का इतिहास आदि का भी अध्ययन भाषाविज्ञान के अन्तर्गत किया जाता है।

Gokhale Memorial Girls' College
Kolkata

निष्कर्ष

भाषा विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं जिसमें (क) सामान्य रूप से मानवी भाषा (ख) किसी विशेष भाषा की रचना और इतिहास का और अन्ततः (ग) भाषाओं या प्रादेशिक भाषाओं के वर्गों की पारस्परिक समानताओं और विशेषताओं का तुलनात्मक विचार किया जाता है। किसी भी अध्ययन को हम वैज्ञानिक तब कहते हैं जब उसमें एक निश्चित प्रक्रिया को अपनाकर चलते हैं। भाषा विज्ञान भी किसी भाषा के कारण कार्यपरक युक्तिपूर्ण विवेचन - विश्लेषण के लिए कुछ निश्चित प्रक्रियाओं में बंधकर चलता है। इन्हीं प्रक्रियाओं के आधार पर अभी तक भाषा - विज्ञान के पाँच प्रकार के अध्ययन हमें प्राप्त होते हैं।

GOKHALE MEMORIAL GIRLS' COLLEGE
ESTD 1938

Name - Viddhi Pandey

College Roll No - 20/BAH/0081

University Registration - 013-1211-0055-20

University Roll No - 202013-11-0043

Tutorial Term paper - 4.8

Topic - Rajbhasa

Gokhale Memorial Girls' College Kolkata

Authenticated
Principal
Gokhale Memorial Girls' College
02 MAR 2023

विषय सूची

14/15

Palash
18/06/2022

- राजभाषा 1-2
- राजभाषा के नियम 3-5
- अधिनियम 6-9
- संकल्प 10-12
- निष्कर्ष 13
- संदर्भ 14

Gokhale Memorial Girls' College Kolkata

Authenticated.
Principal
Gokhale Memorial Girls' College

02 MAR 2023

राजभाषा

एक भाषाविद के अनुसार: देश के शासकाल को चलाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। हमारे देश में समय-समय पर अलग-अलग भाषाएं राजभाषा के रूप में प्रचलित रही हैं उदाहरण के लिए अशोक के समय में पालि, राजपूत काल में हिंदी तथा मुगल काल में फारसी राजभाषा थी। आगे चलकर अंग्रेजों ने भी भारत में काफी समय तक फारसी को ही राजभाषा के रूप में अपनाया।

15 अगस्त, 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। तब हिंदी को राजभाषा बनाने के प्रयास शुरू हो गए कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। गैर हिंदी भाषी लोगों को भय था कि हिंदी राजभाषा बन गई तो उच्च पदों पर केवल हिंदी भाषी लोगों का अधिकार हो जाएगा। इस प्रकार संविधान सभा के सामने राजभाषा का प्रश्न एक चुनौती बन गया। काफी समय तक यह विवाद चलता रहा। अतः 14 सितंबर, 1949 को एक लंबी विचार विमर्श के पश्चात हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया। तभी से 14 सितंबर का दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।

राजभाषा के संबंध में गांधी जी ने कुछ विचार रखे थे जो इस प्रकार है:

Gokhale Memorial Girls' College Kolkata
Authenticated
Principal
Gokhale Memorial Girls' College
04 MAR 2023

- राजभाषा ऐसी होनी चाहिए जो देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है।
- राजभाषा ऐसी होनी चाहिए। जिससे संपूर्ण देश आसानी से समझ व सीख सके।
- राजभाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे सरकारी कर्मचारी आसानी से सीख सकें।
- राजभाषा ऐसी होनी चाहिए जो देश में राजनैतिक, धार्मिक सामाजिक और आर्थिक संपर्क का माध्यम बन सके।

यह सही है कि राजभाषा बनने के लिए निर्धारित सभी गुण हिंदी भाषा में नहीं मिलते लेकिन अन्य भाषाओं की अपेक्षा केवल हिंदी ही भारत की एक ऐसी भाषा है जो पूरे भारत को एक सूत्र में बांध सकती है। शायद इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा चुना गया।

Memorial ... Kota

राजभाषा के नियम

राजभाषा नियम १९७६ के नियम 5 :

राजभाषा नियम १९७६ के नियम ५ के अंतर्गत हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर केवल हिंदी में दिया जाता है। इस संबंध में नियम का उल्लंघन रोकने में जांच बिंदु स्तर पर हिंदी में पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारियों को ही जांच बिंदु बनाया गया है, जो पूरी तरह प्रभावी है।

राजभाषा नियम १९७६ के नियम 10 (4) :-

संस्थान द्वारा राजभाषा नियम १९७६ के नियम १०(४) के अंतर्गत २२ नवम्बर १९८४ से अधिसूचित करने के लिए मान्यता प्राप्त कर ली गई थी।

Memorial

राजभाषा नियम १९७६ के नियम 8 (4) :-

संस्थान में निदेशक कार्यालय का प्रशासनिक प्रधान होता है तथा राजभाषा नियम १९७६ के नियम ८(४) के अंतर्गत निदेशक महोदय के हस्ताक्षर से समय-समय पर प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों / कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से अपना निर्दिष्ट कार्य हिंदी में करने के आदेश जारी किए गए हैं। इनका अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अनुभाग / विभाग अधिकारी को मनोनीत किया गया है। इसके अतिरिक्त, समय-समय पर वाणिज्य मंत्रालय तथा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान इसकी समीक्षा की जाती है।

उपर्युक्त के अनुपालन में जारी किए गए आदेश निम्नानुसार हैं-

- 01 अगस्त 2019
- 18 जुलाई 2018
- 18 नवम्बर 2016
- 20 जुलाई 2015
- 21 अक्टूबर 2013

राजभाषा नियम 1976 के नियम 11

राजभाषा नियम 1976 के नियम 11 के अंतर्गत संस्थान से संबंधित सभी कोड मैनुअल आदि द्विभाषी रूप में उपलब्ध हैं। इन्हें समय-समय अद्यतन किया जाता है। उपर्युक्त से संबंधित दस्तावेजों का विवरण निम्न प्रकार है:

- सूचना का अधिकार
- संविधान
- भर्ती नियम
- सेवाओं की हस्तपुस्तिका
- सेवा उप-नियम
- कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष)
- परामर्श नियम
- नागरिक अधिकार
- आंतरिक पदोन्नति योजना (जांच/उन्नयन)
- प्रायोजित शोध और परामर्श पर नीति
- शोध प्रकाशन के लिए प्रोत्साहन पर नीति
- मानित विश्वविद्यालय के रूप में अनुपालन
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सार्वजनिक प्राधिकरणों की पारदर्शिता लेखा-परीक्षा रिपोर्ट- भारतीय कानून संस्थान, नई दिल्ली द्वारा संचालित

• एमओयू (आरिडी) 2014-16 प्रतेशा: कार्यविधि एवं प्रक्रिया

• पुस्तकालय - नियम व विनियम

राजभाषा नियम 1976 के नियम 11 के अंतर्गत संस्थान में सभी अधिकारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली रबड़ की मोहरें, साइन बोर्ड, शीर्ष पत्र शीर्ष, नाम पट्ट, विजिटिंग कार्ड आदि द्विभाषी रूप में उपलब्ध हैं।

संस्थान द्वारा निर्धारित / प्रयोग में लाए जाने वाले मुद्रित फार्म अर्थात अवकाश आवेदन, भविष्य निधि, चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल, यात्रा भत्ता बिल, वाहन व्यय इत्यादि प्रपत्र तथा शिक्षण कार्यक्रमों के दौरान उपयोग किए जाने वाले पंजीकरण प्रपत्र इसी तरह हिंदी और अंग्रेजी में समान रूप से उपलब्ध हैं।

राजभाषा नियम 1976 के नियम 12

संस्थान में राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के अंतर्गत संस्थान के प्रशासनिक प्रधान निदेशक महोदय द्वारा राजभाषा संबंधी नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों के दौरान सभी अनुभागों के राजभाषा संबंधित कार्यों की समीक्षा की जाती है तथा इस संदर्भ में समय-समय पर आदेश जारी किए जाते हैं।

अधिनियम

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है,

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 है।

(ख) इनका विस्तार, तमिलनाडु राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।

(ग) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

परिभाषा:-

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) 'अधिनियम' से राजभाषा अधिनियम, 1963 अभिप्रेत है;

(ख) 'केन्द्रीय सरकार के कार्यालय' के अन्तर्गत निम्नलिखित भी है, अर्थात्-

(क) केन्द्रीय सरकार का कोई मंत्रालय, विभाग या कार्यालय;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी आयोग, समिति या अधिकरण का कोई कार्यालय; और

(ग) 'कर्मचारी' से केन्द्रीय सरकार के कार्यालय में नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।;

(घ) 'अधिसूचित कार्यालय' से नियम 10 के उपनियम (4) के अधीन अधिसूचित कार्यालय, अभिप्रेत है;

(ङ) 'हिन्दी में प्रवीणता' से नियम 9 में वर्णित प्रवीणता अभिप्रेत है;

(च) 'क्षेत्र क' से बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है;

(छ) 'क्षेत्र ख' से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़ दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं;

(ज) 'क्षेत्र ग' से खंड (च) और (छ) में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है;

(झ) 'हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान' से नियम 10 में वर्णित कार्यसाधक ज्ञान अभिप्रेत है।

राज्यों आदि और केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्रादि:-

1) केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र (क) में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि असाधारण दशाओं को छोड़कर हिन्दी में होंगे और यदि उनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगा।

2) केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से- (क) क्षेत्र 'ख' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय)

न हो) को पत्रादि सामान्यतया हिन्दी में होंगे और यदि इनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उसका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगा, परन्तु यदि कोई ऐसा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र यह चाहता है कि किसी विशिष्ट वर्ग या प्रवर्ग के पत्रादि या उसके किसी कार्यालय के लिए आशयित पत्रादि संबद्ध राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक अंग्रेजी या हिन्दी में भेजे जाएं तो ऐसे पत्रादि उसी रीति से भेजे जाएंगे,

(ख) क्षेत्र 'ख' के किसी राज्य या संघ या राज्य क्षेत्र के किसी व्यक्ति को पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं।

3) केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'ग' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में होंगे।

4) उप नियम (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, क्षेत्र 'ग' में केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क' या 'ख' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते ऐसे कार्यालयों में हिन्दी में पत्रादि ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय - समय पर अवधारित करे।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि :-

(क) केन्द्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और क्षेत्र (क) में स्थित संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी में होंगे और ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार, ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे संबंधित आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर अवधारित करे;

(ग) क्षेत्र (क) में स्थित केन्द्रीय सरकार के ऐसे कार्यालयों के बीच, जो खण्ड (क) या खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट कार्यालयों से भिन्न हैं, पत्रादि हिन्दी में होंगे;

(घ) क्षेत्र (क) में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और क्षेत्र (ख) या (ग) में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं;

निष्कर्ष

संसदीय राजभाषा समिति का गठन 1976 में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 के अंतर्गत किया गया है। इस धारा के अनुसार इस समिति का कर्तव्य है कि वह संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करे और उस पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करे और राष्ट्रपति इस प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएंगे और सभी राज्य सरकारों को भिजवाएंगे। समिति ने यह निर्णय लिया था कि वह अपना प्रतिवेदन विभिन्न खण्डों में प्रस्तुत करेगी। इस निर्णय के अनुसरण में समिति इससे पूर्व अपने प्रतिवेदन के आठ खण्ड राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत कर चुकी है और इन खण्डों में राजभाषा नीति के निम्नलिखित विषय को शामिल किया गया है।

संदर्भ सूची

- https://rojbhasha.gov.in
- https://www.iift.ac.in
- https://www.indiapost.gov.in

14/15

Palashi
18/06/2022

GOKHALE MEMORIAL GIRLS' COLLEGE
ESTD 1938

NAME → DISHA BANERJEE
TUTORIAL → CC 4.8
ROLL NO. → 20/BAH/0026
CU ROLL NO. → 202013-11-0062
CU REG. NO. → 013-1211-0078-20
DEPARTMENT → HINDI
SEMESTER → 4
YEAR → 2022

Gokhale Memorial Girls' College Kolkata

Authenticated.
Principal
Gokhale Memorial Girls' College

विषय

13/15

18/06/2022

4.8

स्वनिम विज्ञान

Memorial Girls' College
Kolkata

सामग्री

क्रमिक संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	परिभाषा	1.
2.	स्वनिम का अवधारना	2-3
3.	विशेषताएँ	4-5
4.	उपयोगिता	6
5.	स्वनिमों का वर्गीकरण	7-8
6.	सन्दर्भ-सूची	9

Gokhale Memorial Girls College
Kolkata

परिभाषा

स्वनिम की सर्वमान्य, निश्चित एवं दोषरहित परिभाषा प्रस्तुत करना थोड़ा कठिन है, फिर भी विभिन्न भाषाशास्त्रियों ने व्यावहारिक ढंग से इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है। चूंकि इस विषय में मौलिक शोध एवं विश्लेषण केवल पाश्चात्य विद्वानों ने ही किया है, इसलिए यहाँ उन्हीं विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषा को समझेंगे।

ब्लूमफील्ड → इनके अनुसार 'परिच्छेदक ध्वनि-अभिलक्षण की लघुतम इकाई, स्वनिम है।'

डेनियल जोन्स → यह मानते हैं कि, "स्वनिम किसी भाषा की उन ध्वनियों का परिवार होता है जो परस्पर अपने ध्वनिगुणों के कारण संबद्ध होते हुए भी इस प्रकार प्रयुक्त किए जाते हैं कि कोई भी सदस्य किसी भी शब्द में कभी परिवेश में नहीं आता है।"

ब्लॉक तथा ट्रैगर → इनके अनुसार "स्वनिम मिलती-जुलती ध्वनियों का एक ध्वन्यात्मक वर्ग है, जो भाषा में सभी समान वर्गों के साथ व्यतिरेकी और परस्पर अनन्य है।"

स्वनिम की अवधारणा

स्वनिमविज्ञान को किसी भी भाषा की सार्थक ध्वनियों की व्यवस्था का अध्ययन माना जा सकता है। स्वनिमविज्ञान अपनी मूल इकाई के रूप में स्वनिम की संकल्पना करता है, साथ ही स्वन तथा संस्वन, सहस्वन या उपस्वन, उनके वितरण व अनुक्रम आदि का अध्ययन करता है।

स्वनिम विज्ञानक विश्लेषण में ध्वनीशास्त्री मानव मुख से निकलने वाली अनंत वाक् ध्वनियों को इस प्रकार कुछ सीमित ध्वनियों में व्यवस्थित करता है कि वे परस्पर अर्थ भेदकता को अभिव्यक्त करती जाती हैं। अगर हम इस बात पर गौर करें तो समझ पाएंगे कि स्वनविज्ञान या ध्वनिविज्ञान का अध्ययन करने वाले के लिए जहाँ मानव मुख से निकलने वाली प्रत्येक ध्वनि महत्वपूर्ण है, वहीं स्वनिमविज्ञान का अध्ययन करने वाले के लिए जहाँ मानव मुख से निकलने वाली प्रत्येक ध्वनि महत्वपूर्ण है, वहीं स्वनिमविज्ञान का अध्ययन करने वाले के लिए केवल उन्हीं ध्वनियों का कोई महत्व नहीं है। इस रूप में

कहा जा सकता है कि स्वनिमविज्ञानी का कार्य वहीं से आरंभ होता है जहाँ पर स्वन विज्ञानी का कार्य समाप्त होता है।

स्वनिम किसी भाषा की लघुतम अर्थभेदक इकाई है। इसकी सत्ता अमूर्त होती है और यह मानव मस्तिष्क में होता है। मानव मस्तिष्क में स्वनिम केवल संकल्पनात्मक रूप में रहता है और उसी के आधार पर मनुष्य उसका उपयोग बार-बार भाषा उत्पादन और बोधन में करता है। इसी कारण एक ही स्वनिम का हजारों-लाखों बार व्यवहार संभव हो पाता है। उदाहरण के लिए हमारे मस्तिष्क में 'क्';'म्';'ल्' और 'अ' स्वनिम हैं। इनके आधार पर हम निम्नलिखित शब्द निर्मित कर सकते हैं:-

जैसे- कमल, कलम, कम, मूल आदि।

इनमें क का प्रयोग 4 बार हुआ है जो स्वन या ध्वनि है। किन्तु मूल में एक ही इकाई /क/ है जो इनका स्वनिम है। स्वनिमों को दो स्लैशों के बिच में प्रदर्शित किया जाता है।

Kolkata

स्वनिम के विशेषताएँ

स्वनिम की प्रवृत्ति के विवेचन से निम्नलिखित तथ्य ज्ञात होते हैं -

1. स्वनिमों या फोनीम किसी भी भाषा की लघुतम असण्ड्य इकाई होता है। जैसे; अ, इ, क, च्, ट्, त्, प् आदि। यह एक श्रेणी है।
2. स्वनिम समान ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करता है। एक ही ध्वनि यदि अनेक प्रकार से उच्चारित होती है तो स्वनिम एक ही होगी।
3. स्वनिम में अर्थ-परिवर्तन की शक्ति होती है। जैसे; काल, गाल, लाल में क्, ग्, ल् स्वतंत्र स्वनिम हैं। अतः इनके भेद से अर्थों में अन्तर हो जाता है। संस्वन या संध्वनि में अर्थ परिवर्तनि करने की शक्ति नहीं होती।
4. स्वनिम समीपवर्ती ध्वनियों से प्रभावित होते हैं। जैसे; लाल, लूट, उल्टा में ल् ध्वनि। लाल में ल् आ के कारण कण्ठस्थान से प्रभावित है।
5. स्वनिमों में ध्वन्यात्मक समान्ता की ओर प्रवृत्ति होति है। इसके आधार पर किसी भाषा-विशेष की ध्वनियों के निर्धारण में सहायता मिलती

स्वनिम विज्ञान की उपयोगिता

स्वनिम विज्ञान 'भाषा-विज्ञान' की सरलतम वैज्ञानिक पद्धति है। इसमें प्रत्येक भाषा की प्रचलित वर्णमाला पर ध्यान न देकर केवल मूल ध्वनियों को नोट किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक भाषा में मूल ध्वनियों की संख्या सीमित रह जाती है। और उन पर सरलता से अधिकार करके नवीन भाषा को सरलतम ढंग से सीखा जा सकता है।

स्वनिम विज्ञान के विश्लेषणों से सुस्पष्ट हुआ है कि विश्व की भाषाओं में कम से कम 15 से लेकर अधिक से अधिक 60 स्वनिम विभिन्न भाषाओं में पाए जाते हैं। स्वनिम विज्ञान भाषा शास्त्र को एक नवीन व्यावहारिक दृष्टिकोण देता है। स्वनिम-समूह ही पद बनता है और पद-समूह वाक्य। इसप्रकार स्वनिम विज्ञान पद, वाक्य, और अर्थ का बोध कराने के कारण भाषाशास्त्र की आधार शिला है।

स्वनिम विज्ञान के प्रवर्तक के रूप में महर्षि पाणिनि का नाम आदर लिया जा सकता है। महर्षि पाणिनि की पद्धति आज भी विश्व के भाषाशास्त्रियों के लिए आदर्श एवं ग्राह्य है।

स्वनिमों का वर्गीकरण

स्वनिमों में दो वर्ग किए गए हैं - खंडात्मक और अधिखंडात्मक।

खंडात्मक : खंडात्मक स्वनिम वे स्वनिम हैं जिनका एक निश्चित अवधि में उच्चारण होता है तथा जो अनुक्रम में प्रयुक्त होते हैं। इसके अलावा इन स्वनिमों के और अधिक सं व्यावर्तक अभिलक्षणों के रूप में किया जा सकता है। इनके दो भेद किए गए हैं :-

स्वर → स्वर वे भाषिक ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण के समय मुख स्वतंत्र रूप से प्रश्वास के मार्ग में कोई रुकावट नहीं होती है। हिन्दी में अंग्रेजी से आगत 'ऑ' सहित 11 स्वर माने जाते हैं -

अ आ ऑ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ

व्यंजन → व्यंजन वे भाषिक ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में मुख विवर में विकार उत्पन्न होता है। व्यंजनों का स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं किया जाता। कोई भी व्यंजन किसी-न-किसी स्वर के साथ जुड़कर ही उच्चारित होता है। हिंदी में प्रयुक्त अनुस्वार (ं), विसर्ग (ः) अतिरिक्त लक्षण हैं, जो किसी भी स्वर या व्यंजन के साथ प्रयुक्त होने की योग्यता रखते हैं।

अधिखंडात्मक : स्वनिमों का भाषा व्यवहार में प्रयोग करते समय उनके साथ कुछ ऐसे भाषिक तत्व भी आ जाते हैं जो स्वयं "स्वन" या "ध्वनि" नहीं होते, किंतु शब्द या वाक्य पर उनका प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ऐसे भाषिक अभिलक्षणों को 'अधिखंडात्मक अभिलक्षण' या स्वनगुणिक अभिलक्षण' कहा जाता है। इसके प्रमुख अभिलक्षण :-

मात्रा → किसी स्वन के उच्चारण में लगने वाली समयावधि को 'मात्रा' कहते हैं। भारतीय वैयाकरणों द्वारा मात्रा के तीन स्तर बताए गए - ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत।

बलाघात → भाषा व्यवहार में किसी "अक्षर" पर कम या अधिक बल देने की अवस्था बलाघात है। यह किसी स्वन विशेष पर न होकर अक्षर पर ही होती है।

संहिता → शब्द अथवा वाक्य के उच्चारण में दो अक्षरों के बीच सीमा को व्यक्त करने वाली इकाई 'संहिता' है। कई बार तो अर्थ का अनर्थ होने की संभावना बनी रहती है, जैसे :-

(क) यह दवाई पी ली है।
यह दवाई पीली है।

(ख) लड्डू बंद रखा गया।
लड्डू बंदर खा गया।

Memorial ... Kolkata

सन्दर्भ-सूची

मैंने यह कार्य पूरा करने के लिए विभिन्न जगह से मदद लीया है।
इंटरनेट के निम्नलिखित वेबसाइट एवं, लिंक जिनकी सहायता से मेरा यह कार्य पुरा किया गया है, और कुछ किताबों से भी पुर्ण हुआ है।

- ई-पी-जी. पाठशाला - स्वनिमविज्ञान
- www.dccp.co.in
- भाषा-विज्ञान - भोलानाथ तिवारी
- स्वनिम - हिंदी.कुंज.in.

Memorial ... Kolkata

NAME – GHOSH PRITI AMARTNATH

TERM PAPER – 4.8

ROLL NO. – 20/BAH/0097

CU ROLL NO. – 202013-11-0063

CU REG. NO. – 013-1211-0079-20

DEPARTMENT- HINDI

SEMESTER – 4

Authenticated.
Principal
Gokhale Memorial Girls' College

विषय सूची

- अर्थविज्ञान १.
- अर्थविज्ञान का नामकरण २.
- अर्थविज्ञान का इतिहास ३.
- अर्थ का महत्त्व ४-५
- अर्थ-परिवर्तन के कारण ६-१४

14/15

Reelakshi
18/06/2022

Kolkata

अर्थविज्ञान

अर्थ शब्द की आत्मा है, शब्द - शरीर है। ध्वनि - विज्ञान और वाक्य - विज्ञान भाषा के शरीर हैं। इनमें भाषा के शरीर या बाह्यरूप का विवेचन विश्लेषण किया जाता है। अर्थ आत्मा है। अर्थविज्ञान में शब्दार्थ के आन्तरिक पक्ष का विवेचन विश्लेषण किया जाता है। अर्थ क्या है? अर्थ का ज्ञान कैसे होता है? शब्द और अर्थ में क्या सम्बन्ध है? संकेतग्रह कैसे होता है? मन में बिम्ब - निर्माण कैसे होता है? बिम्ब से अर्थबोध की प्रक्रिया आदि भाषा के आन्तरिक पक्ष हैं।

जिस प्रकार शरीर के ज्ञान के बाद आत्मा का ज्ञान अपेक्षित है, उसी प्रकार ध्वनि, पद, वाक्य के ज्ञान के बाद अर्थरूपी आत्मा का ज्ञान अपेक्षित एवं अनिवार्य है। अतएव भर्तृहरि ने वाक्यार्थरूपी प्रतिभा को आत्मा कहा है—

अर्थविज्ञान का नामकरण

प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में अर्थसम्बन्धी विवेचन को अर्थविज्ञान नाम दिया है।

शुश्रूषा श्रवणं चैव ग्रहणं धारणं तथा।
ऊहापोहोऽर्थविज्ञानं तत्वज्ञानं च धीगुणाः ॥
यथा च चोदनाशब्दो वैदिक्यामेव वर्तते।
शब्दज्ञानार्थविज्ञानशब्दौ शास्त्रे तथा स्थितौ ॥

भाषाविज्ञान के अर्थ-विषयक विवेचन को आजकल अंग्रेजी में Semantics [सीमेन्टिक्स] कहते हैं। यह नाम फ्रेंच विद्वान मिशेल ब्रेआल [Micheal Bréal] द्वारा प्रचारित हुआ है। हिन्दी में इसके लिए अर्थविचार, शब्दार्थविचार, शब्दार्थ-विज्ञान आदि नाम भी प्रचलित रहे हैं। संप्रति अर्थविज्ञान नाम ही सर्वप्रिय है। अंग्रेजी में इसके लिए प्रारम्भ में अनेक नाम चले। जैसे Rhematology [रेहेमेटोलॉजी], Semasialogy [सीमेसिआलॉजी], Rhematics [रेहेमेटिक्स], Sematalogy [सीमेटोलॉजी] आदि। एक दर्जन से अधिक नामों में से अब Semantics [सीमेन्टिक्स] नाम ही शेष रह गया है।

अर्थविज्ञान का इतिहास

विषय के रूप में 'अर्थविज्ञान नया विषय कहकर है। प्रारम्भ में अनेक भाषाशास्त्रियों ने इसे दर्शन का विषय कहकर भाषाविज्ञान में रखने पर आपत्ति की थी। परन्तु अब यह भाषाशास्त्र का एक अंग बन गया है। भारतवर्ष में शब्द और अर्थ का विवेचन दर्शनशास्त्र का विषय रहा है। न्यायदर्शन और मीमांसादर्शन में शब्दशक्ति, शब्दार्थज्ञान, स्वत: प्रामाण्य - परत: प्रमाण्य आदि का गहन विवेचन हुआ है। वैदिक साहित्य में इन्द्र, वृत्र, वृत्रहा, नदी, उदक, तीर्थ आदि शब्दों की निरुक्ति ही अर्थविज्ञान का सर्वप्रथम भारतीय ग्रन्थ है। इसके पश्चात् पतंजलिकृत 'महाभाष्य' और भर्तृहरि-कृत 'वाक्यपदीय' इस विषय के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। अर्थविज्ञान के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कार्य करने वाले पाश्चात विद्वान हैं — फ्रेंच विद्वान मिशेल ब्रेआल, जर्मन विद्वान पाल, के. रीजिग, ए. हेनरी, पोस्टगेट, बुगमन, स्वीर आदि।

Memorial Kolkata

अर्थ का महत्त्व

आचार्य पाणिनि ने भाषा का सार 'अर्थ' माना है। अतएव 'अर्थवान्' या सार्थक

१. संदर्भ के लिए देखें लेखककृत 'संस्कृत व्याकरण' भूमिका, पृष्ठ

२. (क) ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवा अधि विश्वे निषेदुः। यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत् तद् विदुस्त इमे समासते॥

(ख) ऋग्

Kolkata

३. पाश्चात्य विद्वानों के कुछ महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ ये हैं— 1. Micheal Bréal का Essai de Semantique, 2. Ogden एवं Rechards का Meaning of Meaning, 3. Carnap का Introduction to Semantics, 4. Linsky का Semantics 5. Ullmann का Priciples of Semantics. भारतीय विद्वानों के महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ ये हैं— १. डॉ० बाबूराम सक्सेना का 'अर्थविज्ञान', २. रवि बाबु का 'भाषातत्त्व', ३. डॉ० हरदेव बाहरी का Hindi Semantics. ४. लेखक-कृत 'अर्थविज्ञान और व्याकरण-दर्शन', ५. डॉ० भोलानाथ तिवारी का 'शब्दों का जीवन', 'शब्दों का अध्ययन', ६. डॉ० विश्वनाथ की 'अर्थतत्त्व की भूमिका', ७. प्रो० विजनबिहारी भट्टाचार्य का 'वागर्थ'।

शब्दों को ही 'प्रातिपदिक' [मूल संज्ञाशब्द या प्रकृति] माना है –

अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्।

यास्क ने अपने ग्रन्थ 'निरुक्त' अर्थात निर्वचन, निरुक्ति [Etymology] का आधार ही अर्थ को माना है। अर्थ-ज्ञान के बिना निर्वचन असंभव है।

अर्थनित्यः परीक्षेत।

यास्क ने कई स्थानों पर अर्थ का महत्त्व घोषित किया है। उनका कथन है कि जो वेद पढ़कर उसका अर्थ नहीं जानता, वह ठूंठ है, भारवाहक पशु है। जो अर्थ जानता है, उसे ही समस्त कल्याण प्राप्त होता है।

स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थम्।
योऽर्थज्ञ इत् सकलं भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा॥

Kolkata

अर्थ-परिवर्तन के कारण

अर्थ या शब्दार्थ यद्यपि काल्पनिक एवं सांकेतिक है, परन्तु अर्थबोध का साक्षात् सम्बन्ध मन से है। मानव मन गतिशील, चंचल, भावुक संवेदनशील एवं नवीनता का प्रेमी है। अतः विभिन्न परिस्थितियों में मानव मन की स्थिति एक-सी नहीं होती है। यही कारण है कि राग-द्वेष, क्रोध, घृणा, आवेश आदि में उच्चरित शब्द के अर्थों में अन्तर होता है। यह अर्थ-परिवर्तन प्रारम्भ में व्यक्तिगत होता है। इस प्रकार अर्थ-परिवर्तन की समस्त प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक है।

मन की स्थितियों का भौतिक विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। कभी-कभी अर्थ-परिवर्तन में एक के साथ दूसरा कारण भी सम्बद्ध होता है, अतः दोनों कारणों में उस उदाहरण को प्रस्तुत किया जाता है।

भारतीय काव्यशास्त्रियों - आचार्य मम्मट, विश्वनाथ पंडितराज जगन्नाथ आदि ने अर्थभेद

या अर्थपरिवर्तन के कारण रूप में लक्षणा और व्यंजना शक्तियों का सूक्ष्मतम विवेचन किया है। आगे दिए प्राय: सभी कारण लक्षणा और व्यंजना शक्तियों का सूक्ष्मतम विवेचन किया है। आगे दिए गए प्राय: सभी कारण उनके विचाराधीन नहीं थे। स्पष्टता के लिए काव्यशास्त्रीय पारिभाषिक नाम न देकर भाषाशास्त्रीय कारण प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

पाश्चात्य विद्वानों में प्रो० टक्कर एवं मिशेल ब्रेअल ने इसका विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया है। डा० तारापोरा ने अपनी पुस्तक 'Element of the Science of Language' में प्रो० टक्कर के अनुसार अर्थपरिवर्तन के 12 कारण माने हैं। अन्य अनुसंधानों को भी समन्वित करते हुए अर्थ-परिवर्तन के 28 कारण गाने माने जाते हैं। उनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है।

Gokhale Memorial ... Kolkata

1.) लाक्षणिक-प्रयोग [Metaphor] :- भावों और अनुभूतियों की सरल सुन्दर एवं कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए लक्षणा शक्ति का आश्रय लिया जाता है। इससे भाषा में रोचकता एवं मधुरता आता है। इसके लिए अनेक प्रकार अपनाए जाते हैं, जैसे —

क.) सादृश्य-मूलक वर्णन - निर्जीव में भी मानवीय अंगों का वर्णन। नारियल की आँख, आरी के दांत, सुराही की गर्दन, घड़े का मुँह, पर्वत की चोटी

चारपाई के पैर, छन्द के चरण या पाद, मकान की पीठ [छत], गुफा का पेट।

ख) गौण-प्रयोग - गुण - साम्य के आधार पर प्रयोग - सुन्दर कल्पना, कटु अनुभव, मधुर लय, मीठी मुस्कान, कटु सत्य, सरस साहित्य, नीरस भाषण, चटपटी बात आदि।

ग) गुणसाम्य - मूलक प्रयोग - गुणों की समानता के आधार पर ऐसे प्रयोग होते हैं। राम सिंह है। गुणग्राही को हंस, डरपोक को गीदड़ मूर्ख को पशु या उल्लू गन्दे को सुअर, महामूर्ख को गधा, खुशामदी को कुत्ता, भोले-भाले को गया [गौ], कपटी एवं अपकारी को साँप [आस्तीन का साँप], दुर्जन को बिच्छु आदि।

घ) कृतियों के लिए लेखक का नाम - शिशुपालवध महाकाव्य को 'माघ' माघ पढ़ रहा हूँ। 'कालिदास, अश्वघोष, भारवि या भवभूति पर शोध कार्य कर रहा हूँ', में कालिदास आदि से उनकी कृतियों का अभिप्राय है। 'आजकल सूर, तुलसी, प्रसाद, पान्त पर अनेक ग्रन्थ लिखे जा रहे हैं। में भी उनकी कृतियों से अभिप्राय है।

Kolkata

२) परिवेश-भेद [वातावरण में परिवर्तन]:- परिवेश या वातावरण में अन्तर हो जाने के कारण शब्दों के अर्थों में परिवर्तन हो जाता है। यह परिवेश-भेद अनेक प्रकार का हो सकता है।—

क) भौगोलिक परिवेश-भेद:— भौगोलिक परिवेश में भेद के कारण शब्दों के अर्थ में अन्तर हो जाता है। वेद में 'उष्ट्र' शब्द 'भैंसा' के अर्थ में है। बाद में उष्ट्र का प्रयोग 'ऊँट' के अर्थ में होने लगा। इसका कारण आर्यों का भौगोलिक स्थान-परिवर्तन ज्ञात होता है। Corn [कार्न] शब्द के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न अर्थ हैं। इंग्लैंड में 'गेहूँ', स्कॉटलैंड में 'बाजरा', अमेरिका में 'मक्का'। इसका एक मनोरंजक उदाहरण दिया जाता है कि गत युद्ध के के समय अंग्रेजों ने अमेरिका से कार्न [गेहूँ] मँगाया था। अमेरिका वालों ने अपने अर्थ के अनुसार कार्न [मक्का] उन्हें भेज दिया। बाद में जाँच होने पर इसका यह भेद खुला। हिन्दी में 'खोता', 'खोती' समय नष्ट करने के लिए क्रियाशब्द हैं :- समय खोती है, परन्तु पंजाब में खोता [गधा], खोती [गधी] अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। 'भाइयो, वृथा समय क्यों खोते हो' भजन का संक्षिप्त रूप 'भाइयो क्यों तुम खोते हो, बहनो, क्यों तुम खोती हो' कहने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है।

ख) सामाजिक परिवेश भेद :- समाज में परिवेश के भेद से अर्थ में भेद हो जाता है। अंग्रेजी के Mother [मदर], Sister [सिस्टर], Father [फादर], Brother [ब्रदर] आदि शब्द विभिन्न सामाजिक वातावरण में प्रयुक्त होता है। परिवार में ये माता, बहिन पिता, भाई अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। अस्पताल में 'मदर' मेट्रन के लिए और 'सिस्टर' नर्स के लिए, रोमन कैथोलिक चर्च में 'फादर' पादरी [पुरोहित] के लिए, 'ब्रदर' सहयोगी पादरी के लिए। संस्कृत और हिन्दी में पितृवर्य [पिताजी], मातृवर्या [माताजी] केवल पिता-माता के लिए ही नहीं, अपितु आदरणीय चाचा-चाची, पिता-माता के तुल्य पूज्य कोई भी व्यक्ति अर्थ हो सकता है। हिन्दी में इसी प्रकार 'भाई' शब्द साथी, मित्र, हितैषी, दुकानदार, नौकर आदि का बोधक है। 'बहिन' शब्द बहिन, बहिन की आयु की कन्याएँ सहेलियाँ आदि का बोधक है।

ग) धार्मिक परिवेश भेद :- धार्मिक परम्पराओं आदि के भेद के कारण शब्दों के अर्थों में अन्तर हो जाता है। प्राचीन परम्परा के अनुसार दो वेद जानने वाले को 'द्विवेदी' तीन वेद जानने वाले को 'त्रिवेदी' या 'त्रिपाठी', चार वेद जानने वाले को

'चतुर्वेदी', शुक्ल - यजुर्वेद - ज्ञ को 'शुक्ल', कृष्ण - यजुर्वेद - ज्ञे को 'मिश्र' आदि कहते थे। परन्तु ये शब्द अब ब्राह्मणों की - ज्ञ को 'शुक्ल', कृष्ण - यजुर्वे - ज्ञ को 'मिश्र' आदि कहते थे। परन्तु ये शब्द अब ब्राह्मणों की जाति - विशेष के वाचक रह गए हैं। 'यजमान' यज्ञ करने वाला न होकर कोई भी 'जजमान' हो सकता है। 'उपाध्याय' अध्यापक न होकर कोई भी जन्मना उपाध्याय हो सकता है। 'दक्षिणा' दक्षिण दिशा में बैठकर यजमान द्वारा दिया गया धन या दान होता है, अब यह केवल दान - दक्षिणा रह गया है।

3.) व्यंग्य प्रयोग [Irony] :— इसको काव्यशास्त्र के अनुसार विपरीत लक्षणा कहते हैं। किसी पर आक्षेप करने या व्यंग्य करने में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो उससे सर्वथा उल्टा अर्थ बताते हैं। जैसे - मूर्ख को बृहस्पति, झूठे को युधिष्ठिर, कृपण के कर्ण, डरपोक को सिंह, आचारहीन को धर्मात्मा, लम्पट को ब्रह्मचारी, कुलक्षणा को सती, अनाड़ी को पंडित - पुंगव [इससे ही पोंगा शब्द बना है], दर्जन को कृपानिधान, आदि। 'आँख का अन्धा नाम नैनसुख', 'नाच न जाने आँगन टेढ़ा', आदि मुहावरे भी व्यंग्य - मूलक हैं।

अपकारी का उपकारी के रूप में वर्णन करते हुए संस्कृत का प्रसिद्ध है —

अकृतं बहु तत्र किमुच्यते, सुजनता प्रथिता भवता परम।
विदधादीदृशमेव सदा सखे, सुखितमास्व ततः शरदां शतम् ॥

8.) श्रवण - सुखदता [Euphemism] :— इसको अशुभ परिहार, अमंगल - वरण, सुभाव्यता भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे युफेमिज्म कहते हैं। युफे मिज्म दो ग्रीक शब्दों — Eu [युउ] = सुन्दर ध्वनि, कर्ण - सुखद या श्रवण - सुखद या श्रवण-सुखद ध्वनि। अशुभ, अमंगलसूचक, घृणित और व्रीडाजनक शब्द सुनने में अप्रिय होते हैं, अतः उन अर्थों के लिए शुभ एवं सुन्दर शब्दों का प्रयोग सभ्यता तथा शिष्टता का सूचक माना जाता है। इसके कई भेद हो सकते हैं — 1.) अशुभ या अमंगल, 2.) व्रीड़ा [लज्जा], 3. जुगुप्सा [घृणित] 4.) हीन-कार्य आदि।

क.) अशुभ परिहार :— अशुभ कार्यों एवं घटनाओं के लिए शुभ नाम दिए जाते हैं। 'मृत्यु' के लिए — पंचत्व, देहावसान, स्वर्गवास, वैकुण्ठलाभ आदि। 'लाश' के लिए - शव, मिट्टी आदि। वैधव्य के लिए - चूड़ी फूटना, सिन्दूर धुलना आदि

GOKHALE MEMORIAL GIRL COLLEGE

NAME - ANJALI PRASAD

CLASS - 4rd SEM

SUBJECT - HINDI

PAPER - ~~CC.3.8~~ CC 4.8

DEPARTMENT - HINDI (H)

YEAR - II

COLLEGE ROLL NO - BAH-20-0111.

UNIVERSITY ROLL NO - 202013-11-0067

UNIVERSITY REGISTRATION NO -

(033-1211-0085-20) ~~202013-11-0067~~

DATE -

TIME -

Gokhale Memorial Girls' College Kolkata

Authenticated

Principal

Gokhale Memorial Girls' College

विषय सूची

14/15

18/08/2022

1.	राष्ट्रभाषा की परिभाषा	1-2
2.	राष्ट्रभाषा हिंदी का स्वरूप	2-3
3.	राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास	4-6
4.	अंग्रेजों का योगदान	7
5.	धर्म-समाज सुधारकों का योगदान	8
6.	मध्यकाल	9
7.	आधुनिक काल	10
8.	राष्ट्रभाषा के लिए लक्षण या शर्तें	11-13
9.	राष्ट्रभाषा का महत्व	14-15
10	निष्कर्ष	16
11	संदर्भ	17

Gokhale Memorial Girls' College ★ Kolkata

राष्ट्रभाषा की परिभाषा :—

डॉ. भोलानाथ तिवारी के शब्दों में जब कोई आदर्श भाषा बनने के बाद भी उन्नत होकर और भी महत्वपूर्ण बन जाती है तथा पूरे राष्ट्र या देश में अन्य भाषा क्षेत्र तथा अन्य भाषा परिवार क्षेत्र में भी उसका प्रयोग सार्वजनिक कामों आदि में होने लगता है तो वह राष्ट्रभाषा का पद पा जाती है।

राष्ट्रभाषा के संबंध में उपर्युक्त मत से स्पष्ट है कि जिन देशों में किसी एक भाषा का प्रयोग होता है वहाँ की भाषा 'राष्ट्रभाषा' का पद आसानी से प्राप्त कर सकती है। परंतु भारत जैसे बहुभाषा भाषी देशों में राष्ट्रभाषा का स्वरूप उतना स्पष्ट नहीं हो पाता। ऐसे देशों के निवासी अपनी प्रगति के लिए प्रयासरत रहते हैं। कभी-कभी ऐसी स्थिति में भाषायी प्रतिस्पर्द्धा भी दिखाई देती है। हिंदी भारत के अधिकांश भू-भाग के निवासियों की भाषा है।

हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ प्रदेशों की भाषा तो यह है।

जम्मू क्षेत्र, पंजाब महाराष्ट्र, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश आदि प्रदेशों की भी सम्पर्क भाषा है। यों, हिंदी बोलने-समझने वालों की संख्या भारत के सभी प्रदेशों में पर्याप्त है।

Kolkata

राष्ट्रभाषा हिंदी का स्वरूप :-

राष्ट्रभाषा हिंदी के स्वरूप से तात्पर्य है, सर्वसाधारण से लेकर शिक्षित वर्ग तक सबके द्वारा प्रयुक्त की जानेवाली भाषा का सर्वमान्य रूप। इसका प्रयोग भारत के अधिकांश भू-भाग में किया जाता है। पश्चिम में राजस्थान, हरियाणा से लेकर उत्तर में हिमाचल प्रदेश और पूर्व में बिहार, झारखण्ड तथा छत्तीसगढ़ तक प्रायः सभी इसका प्रयोग करते हैं। हिंदी लगभग ग्यारहवीं शताब्दी से ही भारत के अधिकांश भू-भाग में बोली जाती रही है।

सन् 1915 ई. में भरूच में होने वाले गुजरात शिक्षा परिषद् के अधिवेशन के सभापति-पद से गाँधीजी ने जो भाषण दिया, उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कौन-सी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा बन सकती है,

गाँधीजी के विचार में राष्ट्रभाषा के लिए लक्षण होने चाहिए :

1. यह जरूरी है कि भारतवर्ष के बहुत-से लोग उस भाषा को बोलते हों।

2. उस भाषा के द्वारा भारतवर्ष का आपसी धार्मिक, आर्थिक और राजनैतिक व्यवहार संभव हो।

3. राष्ट्र के लिए वह भाषा आसान होनी चाहिए।

4. अमलदारों के लिए वह भाषा सरल होनी चाहिए।

5. उस भाषा का विचार करते समय किसी क्षणिक या अल्पस्थायी स्थिति पर जोर नहीं देना चाहिए।

गाँधीजी के अनुसार अंग्रेजी भाषा में इनमें से एक भी लक्षण नही है। ढंग से विचार करने पर हम देखेंगे कि आज भी अमलदारों के लिए यह भाषा सरल नही है।

Memorial Girls' College
Kolkata

राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास :-

भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था।14 सितम्बर 1949 को हिंदी को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में स्थान दिया गया। सरकार का दायित्व निश्चित किया गया कि वह हिंदी के प्रचार-प्रसार का कार्य करेगी। आम आदमी की बोलचाल, अस्मिता, साहित्य की भाषा के रूप में हिंदी भारत की प्रमुख भाषा रही है। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के विकास को तीन कालखण्डों में विभाजित कर देखा जा सकता है।

1. आदिकाल 1000ई.-1300ई.
2. मध्यकाल 1300ई.-1800ई.
3. आधुनिककाल 1800 ई.-अद्यतन

Gokhale Memorial Girls College Kolkata

हिंदी के आदिकाल का प्रारम्भ लगभग सन 1000 ईस्वी से माना जाता है। यद्यपि हिंदी का प्रारम्भिक दर्शन सातवीं शताब्दी में हिंदी के प्रथम कवि माने जाने वाले सरहपाद की रचनाओं में किया जा सकता है-

डॉ. रामगोपाल शर्मा 'दिनेश' के शब्दों में, यद्यपि अपभ्रंश अपने मूल रूप में पन्द्रहवीं शताब्दी तक साहित्य की भाषा बनी रही, तथापि आठवीं शताब्दी से ही बोलचाल की भाषा पृथक होकर उसके समानान्तर साहित्य-रचना का माध्यम बन गई थी। इसी भाषा को 'अवहट्ठ' नाम देना भ्रम उत्पन्न करना है। जिन विद्वानों ने ये नाम दिए हैं, वे भी अपने मत के अन्तर्गत प्रायः उक्त तथ्य का समर्थन कर रहे हैं।

चन्द्रधर शर्मा 'गुलेरी' पहले विद्वान हैं जिन्होंने स्पष्ट में यह घोषणा की थी कि 'उत्तर अपभ्रंश' ही कारगि हिंदी है। यहाँ 'उत्तर' शब्द काल का बोधक न होकर साहित्यिक अपभ्रंश से इतर बोलचाल की उस भाषा का बोधक है जो साहित्यिक अपभ्रंश के एक रूप की स्वीकृति के पश्चात उसके बाद के ~~रूप~~ में स्थापित होती जा रही थी।

14 सितंबर ~~19~~ 1949 को हिंदी ~~को~~ ~~राज~~

भारत की जनता की आत्मा में समान रूप से अनुस्यूत धार्मिक आध्यात्मिक-सांस्कृतिक चेतना को उसकी भाषा में ही प्रचारित-प्रसारित किया जा सकता था। इतना ही नहीं चन्दबरदाई और उनके समान अन्य चारण-भाट कवियों ने वीर काव्य की जिस भाषा में रचना की है उसे नाम भले ही 'डिंगल' दिया जाए, किन्तु किंतु वह हिंदी का रूप है। इसी प्रकार इस काल के मधुर भावों के लिए प्रचलित 'पिंगल' भी हिंदी है।

मिथिला प्रदेश में अपनी जिस ललित-सुमधुर भाषा में विद्यापति ने रचना की, और जिसे उन्होंने 'देसिल बयना' कहा भी हिंदी का ही एक रूप है। आदिकाल में हिंदी के लिए हिन्दवी, हिन्दुई या हिन्दुवी का प्रयोग भी होता रहा है।

इस प्रकार अपने उद्भव को दो-तीन सौ वर्षों में ही हिंदी सम्पूर्ण भारतवर्ष के अधिक व्यवहार और साहित्य की भाषा बन गई और दक्षिण भारत के भी कुछ क्षेत्रों में इसका प्रचार-प्रसार प्रारम्भ हो गया। यह सही है कि इस समय एक खड़ी बोली का महत्व अन्य भाषा रूपों से अधिक नहीं था।

अंग्रेजों का योगदान :-

राष्ट्रभाषा सारे देश की सम्पर्क भाषा होती है। हिंदी दीर्घकाल से सारे देश में जन-जन के पारस्परिक सम्पर्क की भाषा रही है। यह केवल उत्तर भारत की नहीं, बल्कि दक्षिण भारत के आचार्यों वल्लभाचार्य, रामानुज, रामानंद आदि ने भी इसी भाषा के माध्यम से अपने मतों का प्रचार किया था। अहिंदी भाषी राज्यों के भक्त-संत कवियों जैसे- असम के शंकरदेव, महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर व नामदेव, गुजरात के नरसी मेहता, बंगाल के चैतन्य आदि ने इसी भाषा को अपने धर्म और साहित्य का माध्यम बनाया था।

Gokhale Memorial Girls College * Kolkata

यही कारण था कि जनता और सरकार के बीच संवाद स्थापना के क्रम में फारसी या अंग्रेजी के माध्यम से दिक्कतें पेश आई तो कम्पनी सरकार ने फोर्ट विलियम कॉलेज में हिन्दुस्तानी विभाग खोलकर अधिकारियों को हिंदी सिखाने की व्यवस्था की। यहाँ से हिंदी पढ़े हुए अधिकारियों ने भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में इसका प्रत्यक्ष लाभ देकर मुक्त कंठ से हिंदी को सराहा।

धर्म-समाज सुधारकों का योगदान:—

धर्म-समाज सुधार की प्रायः सभी संस्थाओं ने हिंदी के महत्व को आँका और हिंदी की हिमायत की। ब्रह्म समाज (1828 ई.) के संस्थापक राजा राममोहन राय ने कहा, इस समग्र देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है। ब्रह्मसमाजी केशव चंद्र सेन ने 1875 ई. में एक लेख लिखा, भारतीय एकता कैसे हो, जिसमें उन्होंने लिखा — उपाय है सारे भारत में एक ही भाषा का व्यवहार। अभी जितनी भाषाएँ भारत में प्रचलित हैं, उनमें हिंदी भाषा लगभग सभी जगह प्रचलित है। यह हिंदी अगर भारतवर्ष की एकमात्र भाषा बन जाए तो यह काम सहज ही और शीघ्र ही सम्पन्न हो सकता है। एक अन्य ब्रह्मसमाजी नवीन चंद्र राय ने पंजाब में हिंदी के विकास के लिए स्तुत्य योगदान किया। आर्य समाज (1875) ई० के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती गुजराती भाषी थे एवं गुजराती व संस्कृत के अच्छे जानकार थे।

मध्यकाल :—

मध्यकाल भारत के लिए सांस्कृतिक पुनरुत्थान का काल कहा जा सकता है। सांस्कृतिक दृष्टि से सारा भारत एक ही रहा है। 'विविधता में एकता' है भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। भारत के विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न धर्मों के जो तीर्थस्थान हैं, उन्होंने हिंदी को देश के कोने-कोने में पहुँचाने में बहुत मदद की है। हिंदीतर प्रदेशों में अपने तीर्थ स्थानों पर आते थे और हिंदी प्रदेशों के और हिंदी प्रदेशों में अपने तीर्थ स्थानों पर आते थे और हिंदी प्रदेशों के निवासी भी आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु आदि प्रदेशों में अपने तीर्थ स्थानों पर आते थे। हिंदी प्रदेश के निवासी भी आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु आदि प्रदेशों में अपने तीर्थों पर आते थे। ऐसे में एक ऐसी भाषा की आवश्यकता थी जो इन भिन्न भाषा-भाषियों के बीच सेतु का कार्य कर सके। हिंदी ने इस काल में इस दायित्व का निर्वाह किया।

Gokhale Memorial Girls' College Kolkata

आधुनिक काल :—

आधुनिक काल में हिन्दी राष्ट्रीय अस्मिता और अभिव्यक्ति की प्रतीक बन गई। हिन्दी भाषा के सन्दर्भ में आधुनिक काल का प्रारम्भ सन 1800 ई. में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना से स्वीकार किया जा सकता है, इस कॉलेज की स्थापना से स्वीकार किया जा सकता है। इस कॉलेज में अन्य विषयों के साथ अरबी, फारसी, संस्कृत ~~हिन्दी~~ हिन्दुस्तानी, बंगला, ग्रीक आदि भाषाओं को पढ़ाने की भी व्यवस्था थी। हिन्दुस्तानी विभाग के प्रथम अध्यक्ष डॉ. जान गिलक्रिस्ट ने हिन्दुस्तानी का गम्भीर अध्ययन किया था। गिलक्रिस्ट की भाषा-नीति हिन्दी के विरोध में पड़ती थी। इसके कारण आगे चलकर हिन्दी-उर्दू का भयंकर विवाद खड़ा हुआ। सन् 1823 में विलियम प्राइस के विभागाध्यक्ष बनने तक हिन्दुस्तानी के स्थान पर हिन्दी का अध्ययन प्रारम्भ हो गया था। प्राइस हिन्दी और हिन्दुस्तानी में लिपि और शब्दों का ही अन्तर मानते थे।

निष्कर्ष :— सारे देश को एकता के सूत्र में लिए हमें के महत्व को समझना होगा। हिन्दी पहले राष्ट्र भाषा थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। हिन्दी को समृद्ध करना, इसका उपयोग बढ़ाना और इसे सम्मान देना और दिलाना यह प्रत्येक भारतीय का पहला कर्तव्य है।

अगर आप चाहते हो की ~~राज भाषा~~ राजभाषा और राष्ट्र भाषा हिन्दी का अतीत शानदार हो, भविष्य भी भव्यता के साथ जानदार हो तो हमें वर्तमान के हर क्षण का उपयोग हिन्दी को सँवारने के लिए और इसकी विकास-यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए करना होगा।

Kolkata

संदर्भ :—

- https://www.scotbuzz.org.
  शब्दभाषा की परिभाषा
- https://bharatdiscovery.org.
  शब्दभाषा हिंदी का स्वरूप.
- https://www.hindikunj.com
  शब्दभाषा का महत्त्व
- https://thesimplehelp.coc
  निष्कर्ष

Kolkata

Name: Jagrani Panna

College Roll No: 20/BAH/0009

CU Roll No: 202013-11-0140

CU Registration No: 013-1213-0006-20

Semester: 4

Paper: CC4.8

Topic: वाक्य विज्ञान

Year: 2022

14/15

Palash 18/06/2022

Gokhale Memorial Girls' College Kolkata

Authenticated.
Akarplia.
Principal
Gokhale Memorial Girls' College

विषय सूची

1	वाक्य विज्ञान का स्वरूप	1-3
2	वाक्य की परिभाषा	4
3	वाक्य के अनिवार्य तत्व	5-7
4	वाक्यों के प्रकार	8-10
5	वाक्य परिवर्तन के कारण	11-12
6	संदर्भ	13

Memorial Girls' College Kolkata

वाक्य विज्ञान का स्वरूप

Memorial ... Kolkata

वाक्य विज्ञान के अन्तर्गत निम्नलिखित बातों का विचार किया जाता है - वाक्य की परिभाषा, वाक्यों और भाषा के अन्य अंग का सम्बन्ध, वाक्यों के प्रकार, वाक्यों में परिवर्तन, वाक्यों में पदों का क्रम, वाक्यों में परिवर्तन के कारण आदि। वाक्य विज्ञान के स्वरूप के विषय में डा. कपिलदेव द्विवेदी ने विस्तार से विवेचन किया है। उनका मत इस प्रकार है :- वाक्य - विज्ञान में भाषा में प्रयुक्त विभिन्न पदों के परस्पर संबन्ध का विचार किया जाता है। अतएव वाक्य - विज्ञान में इन सभी विषयों का समावेश हो जाता है - : वाक्य का स्वरूप, वाक्य की परिभाषा, वाक्य की रचना, वाक्य के अनिवार्य तत्व, वाक्य में पदों का विन्यास वाक्यों के प्रकार, वाक्य का विभाजन, वाक्य में निकटस्थ अवयव, वाक्य में परिवर्तन, परिवर्तन की दिशाएँ, परिवर्तन के कारण, पदिम (Taxeme) आदि। इस प्रकार वाक्य - विज्ञान में वाक्य से संबद्ध सभी तत्वों का विवेचन किया जाता है।

पद - विज्ञान और वाक्य - विज्ञान में अन्तर यह है कि पद - विज्ञान में पदों की रचना का विवेचन होता है। अतः उसमें पद विभाजन (संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि), कारक, विभक्ति, वचन, लिंग, काल, पुरुष आदि के बोधक शब्द किस प्रकार बनते हैं, इस पर विचार किया जाता है। वाक्य-विज्ञान उससे अगली कोटि है। इसमें पूर्वोक्त विधि से बने हुए पदों का कहाँ, किस प्रकार से रखने से अर्थ में क्या अन्तर होता है, आदि विषयों का विवेचन है। ध्वनि निर्मापक तत्व हैं।

जैसे मिट्टी, कपास आदि; पद बने हुए वे तत्व हैं, जिनका उपयोग किया जा सकता है, जैसे- ईंट, वस्त्र आदि; वाक्य वह रूप है, जो वास्तविक रूप में प्रयोग में आता है, जैसे- मकान, सिले वस्त्र आदि। पद ईंट है तो वाक्य मकान या भवन।

तात्विक दृष्टि से ध्वनि, पद और वाक्य में मौलिक अन्तर है। ध्वनि मूलतः उच्चारण से संबद्ध है। या शारीरिक व्यापार से उत्पन्न होती है, अतः ध्वनि में मुख्यतया शारीरिक व्यापार प्रधान है। पद में ध्वनि और सार्थकता दोनों का समन्वय है। ध्वनि शारीरिक और मानसिक दोनों तत्वों के समन्वय से वह वाक्य में प्रयोग के योग्य बन जाता है। सार्थकता का संबन्ध विचार से है। विचार मन का कार्य है, अतः पद में मानसिक व्यापार भी है। वाक्य में विचार, विचारों का समन्वय, सार्थक एवं समन्वित रूप में अभिव्यक्ति, ये सभी कार्य विचार और चिन्तन से संबद्ध है, अतः मानसिक कार्य है। वाक्य में मानसिक अथवा मनोवैज्ञानिक पक्ष मुख्य होता है। विचारों की पूर्ण अभिव्यक्ति वाक्य से होती है, अतः वाक्य ही भाषा का सूक्ष्मतम सार्थक इकाई माना जाता है। इनका भेद इस प्रकार भी प्रकट किया जा सकता है-

1. ध्वनि: उच्चारण से संबद्ध है, शारीरिक तत्व मुख्य है, प्राकृतिक तत्व की प्रधानता के कारण प्रकृति के तुल्य 'सत्' है।
2. पद: इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों तत्व हैं, सत् के साथ चित् भी है, अतः 'सच्चित्' रूप है।
3. वाक्य: मानसिक पक्ष की पूर्ण प्रधानता के कारण भाषा का अभिव्यक्त रूप है, अतः 'आनन्द' रूप या 'सच्चिदानन्द' रूप है। वाक्य ही सार्थकता के कारण रस रूप या आनन्द-

रूप होता है। भावानुभूति, रसानुभूति या आनन्दानुभूति का साधन वाक्य ही है। वाक्य सत्, चित्, आनन्द का समन्वित रूप है, अतः दार्शनिक भाषा में इसे 'सच्चिदानन्द' कह सकते हैं।

Gokhale Memorial Girls' College
Kolkata

वाक्य की परिभाषा

भारत के प्राचीन वैयाकरणों और भाषा शास्त्रायों ने वाक्य के विषय में सूक्ष्मता से विचार किया है। डा. कपिलदेव द्विवेदी ने इन मतों को सार रूप में प्रस्तुत किया है और इन मतों की समीक्षा भी की है जो इस प्रकार है:

पतंजलि ने महाभाष्य में वाक्य के 5 लक्षण दिए हैं -

1. एक क्रियापद वाक्य है।
2. अव्यय, कारक और विशेषण से युक्त क्रिया - पद वाक्य है।
3. क्रिया - विशेषण - युक्त क्रिया - पद वाक्य है।
4. विशेषण - युक्त क्रिया - पद वाक्य है।
5. क्रियापद - रहित संज्ञा - पद भी वाक्य होता है। जैसे - तर्पणम् (तर्पण करो), पिण्डीम् (ग्रास खाओ)।

मीमांसकों, नैयायिकों और साहित्यशास्त्रायों ने साकांक्ष पद - समूह को 'वाक्य' माना है। आचार्य विश्वनाथ ने 'आकांक्षा, योग्यता और आसत्ति से युक्त पद - समूह को वाक्य माना है।

आचार्य 'भर्तृहरि' ने अपने पूर्ववर्ती वैयाकरणों और दार्शनिकों के मतों का संग्रह 'वाक्यपदीय' में करते हुए वाक्य की निम्नलिखित परिभाषाएं दी हैं।

1. क्रिया - पद को वाक्य कहते हैं।
2. क्रिया - युक्त कारकादि के समूह को वाक्य कहते हैं।
3. क्रिया एवं कारकादि - समूह में रहनेवाली 'जाति' वाक्य है।
4. क्रियादि - समूह - गत एक अखण्ड शब्द (स्फोट) वाक्य है।
5. क्रियादि - पदों के क्रम - विशेष को वाक्य कहते हैं।
6. साकांक्ष प्रथम पद को वाक्य कहते हैं।

Kolkata

वाक्य के अनिवार्य तत्त्व

अभिहितान्वयवादी आचार्य कुमारिल भट्ट आदि ने वाक्य में तीन तत्त्वों को अनिवार्य बताया है– 1. आकांक्षा, 2. योग्यता, 3. आसत्ति (सन्निधि)। इसको ही आचार्य विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण में निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया है।

वाक्यं स्याद् योग्यताकांक्षासत्तियुक्तः पदोच्चयः।

इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है–

1. आकांक्षा ÷ आकांक्षा से तात्पर्य है– 'श्रोता की जिज्ञासा'। वाक्य में एक पद को सुनकर श्रोता में जो जिज्ञासा होती है, वाक्य के अन्य पदों से उसकी पूर्ति होनी चाहिए। अतः वाक्य में प्रयुक्त पद साकांक्ष होने चाहिएं। इसके विपरीत 'आकांक्षा शून्य' गौरश्वः पुरुषो हस्ती: आदि या 'गाय, घोड़ा, पुरुष, हाथी, आदि पद-समूह वाक्य नहीं हैं; क्योंकि, इनमें से किसी भी एक पद को सुनकर श्रोता में दूसरे को सुनने की आकांक्षा नहीं होती।

2. योग्यता ÷ योग्यता से तात्पर्य है कि पदों में विवक्षित भाव को कहने की क्षमता होनी चाहिए; अर्थात् पदार्थों के परस्पर सम्बन्ध में बाधा नहीं होनी चाहिए। 'अग्नि सिंचति' या 'आग से सींचता है' वाक्य में 'अग्नि' या 'आग' पद सींचने की योग्यता वाला नहीं है। अतः अयोग्य पदों का वाक्य में प्रयोग नहीं होना चाहिए।

3. आसत्ति (संनिधि) ÷ आसत्ति का अर्थ है – समीपता। इसको ही संनिधि भी कहते हैं। समीपता से अभिप्राय है कि वाक्य में प्रयुक्त पद लगातार या क्रमबद्ध रूप से उच्चरित हों। बीच में आवश्यकता से अधिक समय देने पर उन पदों का क्रम टूट जाएगा और वे वाक्य नहीं बनेंगे। 'मैं खाना खाता हूँ' में 'मैं खाना' आज बोला गया और २ घंटे या १ दिन बाद कहा गया – 'खाता हूँ' समय का अधिक व्यवधान हो जाने से यह वाक्य नहीं बनेगा और न इससे कोई अर्थ निकलेगा। इसलिए समय की समीपता या सान्निध्य अनिवार्य है, जिससे वाक्य क्रमबद्ध हो सके।

इस प्रकार आचार्य विश्वनाथ ने आकांक्षा, योग्यता और आसत्ति से युक्त पदों के समूह को वाक्य कहा है। इसी प्रकार उक्त वाक्यों के समूह को 'महावाक्य' नाम दिया है। सभी काव्य, महाकाव्य आदि ग्रन्थ 'महावाक्य' हैं। कुमारिल ने तन्त्रवार्तिक में वाक्यों से महावाक्य बनने में अंगागिभाव से अपेक्षा होने से पुनः समन्वय होकर एकवाक्यता मानी है।

कुछ विद्वानों ने आकांक्षा, योग्यता और आसत्ति के अतिरिक्त दो अन्य तत्वों का उल्लेख किया है – 1. सार्थकता, 2. अन्विति। वस्तुतः ये दोनों तत्व 'योग्यता' में ही आ जाते हैं।

1. सार्थकता – वाक्य में प्रयुक्त शब्द सार्थक होने चाहिए। पद तभी वाक्य बनते हैं, जब वे सार्थक हों। 'योग्यता' के द्वारा पदों की सार्थकता भी आवश्यक है सार्थक पद ही अर्थ-प्रतीति की योग्यता रखते हैं। अतः सार्थकता का पृथक् उल्लेख अनावश्यक है।

Gokhale Memorial Girls' College, Kolkata

२. अन्विति (अन्वय) ÷ अन्विति का अर्थ है — व्याकरण की दृष्टि से एकरूपता। लिंग, वचन, विभक्ति, विशेषण आदि समरूप हों; लिंगभेद, वचनभेद, विभक्तिभेद आदि से व्याकरण-सम्बन्धी अनुरूपता विच्छिन्न होती है, अत: अन्विति की आवश्यकता है। ऊपर 'योग्यता' में व्याकरणमूलक बाधा का अभाव भी अनिवार्य बताया गया है, अत: अन्विति या अन्वय को पृथक् मानना आवश्यक नहीं है। व्याकरण-सम्बन्धी अन्विति को अंग्रेजी में Congruence, Concord, Agreement कहते हैं।

Gokhale Memorial Girls' College
Kolkata

वाक्यों के प्रकार

1. वाक्य की रचना या गठन के आधार पर

(क) साधारण वाक्य – इसमें एक उद्देश्य होता है और एक विधेय अर्थात् एक संज्ञा और एक क्रिया। जैसे – वह पुस्तक पढ़ता है।

(ख) मिश्र वाक्य – इसमें एक मुख्य उपवाक्य होता है और उसके आश्रित एक या अनेक उपवाक्य होते हैं – जैसे –

1. यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः।
2. जिसके पास धन होता है, उसके सभी मित्र होते हैं।

(ग) संयुक्त वाक्य ÷ इसमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं। इनके साथ आश्रित उपवाक्य एक या अनेक होते हैं अथवा नहीं भी होते हैं। जैसे –

1. जब मैं गुरु की कुटी पर पहुँचा तो वे स्नान करने नदी पर गए थे।
2. यदाऽहं गुरूटं प्रापम्, तदा स स्नानार्थं नदीं गत आसीत्।

2. भाव या अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के अनेक भेद हो सकते हैं –

① विधि-वाक्य – कृष्ण काम करता है।

② निषेध-वाक्य – कृष्ण काम नहीं करता है।

3. प्रश्न-वाक्य – क्या कृष्ण काम करता है?
4. अनुज्ञा-वाक्य – तुम करो!
5. सन्देह-वाक्य – कृष्ण काम करता होगा।
6. इच्छार्थक-वाक्य – ईश्वर, तुम्हें सद्‌बुद्धि दे।

3. क्रिया के आधार पर वाक्या के प्रकार ÷

① कर्तृवाच्य ÷ वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन कर्ताकारक के आनुसार प्रयोग होते हैं।
जैसे – मोहन दिल्ली में रहता है।

② कर्मवाच्य ÷ जब वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता से न होकर कर्म से होता है अथवा क्रिया के लिंग वचन आदि कर्म के अनुसार होता है।

③ भाववाच्य ÷ जब वाक्य में न तो कर्ता की प्रधानता होती है और न कर्म की बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान होता है।
जैसे – सोहन से चला नहीं जाता है।

4. रचना के प्रकार ÷

① पूर्ण वाक्यत्मक ÷ पूर्ण वाक्यात्मक रचना में वाक्य के सारे अवश्यक उपकरण होते हैं।

② अपूर्ण वाक्यत्मक ÷ दूसरी ओर अपूर्ण वाक्यत्मक रचना में एक या अधिक उपकरणों या पदों का लोप रहता है। प्रश्नों के उत्तर में कई बार अपूर्ण वाक्यों का प्रयोग किया जाता है।

उदाहरण ÷
पूर्णवाक्य – मोहन क्या तुम घर जाऊगे।
अपूर्णवाक्य ÷ हाँ

Kolkata

5. आकृतिमूलक वर्गीकरण :-

(1) अयोगात्मक वाक्य :- अयोगात्मक वाक्य में शब्द अलग-अलग रहते हैं और उनका स्थान निश्चित रहता है इसका कारण यह है यह संबंध तत्व दिखाने के लिए शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। भारोपिया कुल की आधुनिक भाषाओं में ऐसी प्रवृति दिखाई देती है। यह पर पद क्रम बदल जाने से अर्थ बदल जाता है।

(2) प्रश्लिष्ट योगात्मक :- प्रश्लिष्ट योगात्मक वाक्यों के सभी शब्द मिलकर एक बड़ शब्द बन जाते हैं। ऐसे होने में उनका थोड़ा-थोड़ा अंश कट जाता है।

मेक्सिकन में

क = खाना
नकत = माँस
नेवल = मैं

तीनों को मिलाकर

नीनकक = मैं मांस खाता हूँ।

इन वाक्यों का विश्लेषण आसानी से नहीं किया जा सकता, इसी से इनके शब्दों के योग को प्रश्लिष्ट कहा जाता है, जो इनकी इस (प्रश्लिष्ट योगात्मक) संज्ञा का कारण है।

Kolkata

वाक्य परिवर्तन के कारण

ध्वनि, रूप और अर्थ के समान वाक्य-रचना में भी परिवर्तन होना स्वाभाविक है। वाक्यरचना में परिवर्तन के कारण लगभग वही हैं जो भाषा-परिवर्तन के विषय में बताए गए हैं। सभी विद्वानों ने लगभग एक जैसे कारण माने हैं। यहाँ कुछ प्रमुख कारणों का उल्लेख किया जा रहा है।

अन्य भाषाओं का प्रभाव ÷ किसी अन्य भाषा के प्रभाव से वाक्य रचना प्राय: प्रभावित होती है किन्तु ऐसा तभी होता है जब प्रभावित करने वाली भाषा अति अवश्यक हो जाए मध्याकाल में मुगल दरबार की भाषा फारसी थी, अत: उसका पठन होता था इसके फलस्वरूप हिन्दी की काव्य रचना पर फारसी का प्रभाव अधीक पड़ा उदाहरण के लिए आदर के लिए बहुवचन का प्रयोग की परम्परा फारसी की परम्परा रही।

Kolkata

विभक्तियों का घिस जाना ÷ संस्कृत, लैटिन, ग्रीक आदि प्राचीन भाषाएँ संयोगात्मक (Synthetical) थी विकासक्रम के अनुसार वे वियोगात्मक (Analytical) हो गई। इसके परिणामस्वरूप वाक्य-रचना में अन्तर आ गया। विभक्तियों, प्रत्ययों का कार्य परसर्गों, सहायक क्रिया आदि से लिया जाने लगा। संयोगात्मक अवस्था में पदक्रम में परिवर्तन हो सकता था। कर्ता, कर्म, क्रिया को आगे-पीछे रख सकते थे, परन्तु वियोगात्मक अवस्था में वि पदक्रम निश्चित हो जाता है, जैसा कि हिन्दी, अंगेरजी आदि में विद्यमान है। इसमें कर्ता और कर्म का स्थान बदलने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हिन्दी में ने (तृ. एक. स्थो पर (उपरि) आदि घिसे हुए कारक-चिन्ह हैं।

स्पष्टता ÷ स्पष्टता के लिए वाक्य - गठन में परिवर्तन होता है। इसके लिए कोष्ठ या डैश का प्रयोग होता है। 'अमरत्व (मोक्ष की कामना) मानव - जीवन का लक्ष्य है'।

अज्ञान ÷ अज्ञान के कारण भी वाक्यों में अधिक पदों का प्रयोग होने से, वाक्य - परिवर्तन हो जाता है। अनेक वक्ता 'दरअसल', 'दरहकीकत', 'सज्जन' आदि शब्दों के स्थान पर वाक्यों में 'दरअसल में', 'दरहकीकत में', 'सज्जन पुरुष' आदि का प्रयोग करते हैं, जिससे वाक्य - रचना में परिवर्तन हो जाता है।

नवीनता का प्रयास ÷ अनेक वक्ता तथा लेखक अपनी भाषा में नवीनता लाने के लिए वाक्यों के नये - नये प्रयोग करते हैं। इस प्रयास में वाक्य में प्रचलित पदक्रम को बदल दिया जाता है: जैसे - "यह स्थान मनुष्य मात्रा के लिए है।" के स्थान पर "यह स्थान मात्रा मनुष्यों के लिए है।" इसके अतिरिक्त अनेक बार कर्ताविहीन या क्रिया - विहीन वाक्यों का प्रयोग भी देखा जाता है।

बलाघात ÷ बलाघात के कारण वाक्य - गठन में परिवर्तन हो जाता है। 'मैं पराजय जैसी चीज नहीं जानता' के स्थान पर 'पराजय, मैं नहीं जानता'।

Kolkata

संदर्भ

http://examtopperclass.com/vaaky-vigyaan-ka-svaroop-paribhaasha-even-prakaar/

Girls' College Kolkata

GOKHLE MEMOGIAL GIRL'S COLLEGE

GOKHALE MEMORIAL GIRLS' COLLEGE
ESTD 1938

CLASS-2nd SEMESTER

SUB-HINDI

DEPARTMENT-HINDI

PAPER-CC-2-4

YEAR-1

Authenticated
Principal
Gokhale Memorial Girls' College

::Submitted By::

NAME – PRERANA MISHRA 0 4 MAR 2023

COLLEGE ROLL-BAH/21/0024

UNIVERSITY ROLL- 212013-11-0001

UNIVERSITY REG.NO- 013-1211-0005-21

REX

INDEX

SL No.	TOPICS निराला	PAGE
1.	निराला जी का परिचय	1-2
2.	निराला जी की काव्य की विशेषताएँ	3-6
3.	निराला की सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टि	7-9
4.	महत्व, अवदान एवं हिन्दी साहित्य में स्थान	10-11
5.	निष्कर्ष	12
6.	संदर्भ	13

सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला'

सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' - परिचय

सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' का जन्म सन् 1897 ई० में बंगाल के महिषादल राज्य में हुआ था। उनके पिता उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़कोला ग्राम के निवासी थे, किन्तु आजीविका के लिए बंगाल चले गए थे। ढाई वर्ष की आयु में उन्हें माता की गोद से वंचित होना पड़ा और उनके पालन-पोषण का भार उनके पिता के कंधों पर आ पड़ा।

'निराला' की प्रारम्भिक शिक्षा महिषादल में हुई। संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी का अध्ययन उन्होंने घर पर ही किया। चौदह वर्ष की उम्र में उनका विवाह मनोहरादेवी के साथ सम्पन्न हुआ। वे साहित्य और संगीत में रुचि रखती थीं। उनकी प्रेरणा से ही निराला जी लेखन में प्रवृत्त हुए।

बाईस वर्ष की उम्र में निराला जी की पत्नी का निधन हो गया, जिससे वे अति खिन्न हुए। महिषादल की नौकरी छोड़कर उन्होंने 'समन्वय' और 'मतवाला' का सम्पादन किया। निराला जी गरीबी एवं कष्टों में पिसपिसकर विक्षिप्त हो गए तथा सन् 15 अक्टूबर, 1961 ई० में उनका देहावसान हो गया।

Gokhale Memorial Girls' College Kolkata
Authenticated.
Principal
Gokhale Memorial Girls' College
4 MAR 2023

रचनाएँ एवं कृतियाँ :-

निराला जी बहुमुखी प्रतिभा वाले साहित्यकार थे। कविता के अतिरिक्त उन्होंने उपन्यास, कहानियाँ, निबन्ध, आलोचना और संस्मरण भी लिखे हैं। उनकी प्रमुख काव्य-रचनाएँ हैं - 'परिमल', 'गीतिका', 'अनामिका', 'तुलसीदास', 'कुकुरमुत्ता', 'अणिमा', 'अपरा', 'बेला', 'नये पत्ते', 'आराधना', 'अर्चना' आदि। गद्य रचनाओं में 'लिली', 'चतुरी चमार', 'अलका', 'निरुपमा' आदि श्रेष्ठ गद्य-रचनाएँ हैं।

साहित्यिक परिचय :-

मूलत: वे कवि थे और छायावाद के प्रमुख प्रवर्तकों में से एक थे। उनकी कविता में विषय की विविधता और नवीन प्रयोगों की बहुलता है। शृंगार, रहस्यवाद, राष्ट्रप्रेम, प्रकृति-वर्णन के अतिरिक्त शोषण और वर्गभेद के विरुद्ध विद्रोह, शोषितों एवं दीन-हीन जन के प्रति सहानुभूति तथा पाखण्ड और प्रदर्शन के प्रति व्यंग्य उनके काव्य की विशेषताएँ हैं।

भाषा शैली :-

'निराला' जी की दो शैलियाँ स्पष्ट हैं- एक, उत्कृष्ट छायावादी गीतों में प्रयुक्त लम्बी समास पदावलीयुक्त, तत्सम-बहुला, गहन विचारों से ओत-प्रोत शैली और दूसरी सरल, प्रवाहपूर्ण, प्रचलित उर्दू के शब्द लिए व्यंग्यपूर्ण और चुटीली शैली। भाषा पर निराला जी का पूर्ण अधिकार था। उन्होंने परिमार्जित साहित्यिक खड़ीबोली में रचनाएँ की हैं।

उनकी रचनाओं में आग है, पौरुष है और है सड़ी-गली परम्पराओं के प्रति विद्रोह। कुल मिलाकर निराला जी हिन्दी के क्रान्तिकारी-कवि थे। वर्ण्य-विषय, भाषा, भाव, शैली, छन्द, अलंकार, गति, लय आदि की दृष्टि से निराला जी का काव्य अत्यन्त निराला है।

काव्य की विशेषताओं

पं. सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' छायावाद के महान कवियों में से एक हैं। महाकवि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानन्दन पंत और निराला छायावाद की वृहत्त्रयी के रूप में जाने जाते हैं। उनका व्यक्तित्व और साहित्य बहुआयामी है। श्री नरेन्द्र शर्मा के शब्दों में वह आधुनिक कवियों में अपनी शैलीगत आधुनिकता के कारण आधुनिकतम, किन्तु वेदान्त, दर्शन तथा वीर पूजा सम्बन्धी भावना के कारण पुरातन बने रहे हैं। उनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना, देश-प्रेम, मानवतावाद, असहाय एवं दीनों के प्रति करुणा और शोषणवादी व्यवस्था के विरुद्ध आक्रोश है। उनके काव्य की निम्नलिखित द्रष्टव्य है।-

1) विद्रोह एवं स्वच्छन्दता का स्वर :-

छायावादी काव्य में प्राचीनता और परम्परा के विरुद्ध विद्रोह की भावना तथा स्वच्छन्दता का स्वर मुखर है। निरालाजी के काव्य में छायावाद की यह विशेषता अधिक स्पष्ट है क्योंकि वे अन्य छायावादी कवियों की अपेक्षा अधिक विद्रोही और स्वच्छन्दतावादी थे। 'वर दे वीणावादिनी वरदे' कविता में उन्होंने अपनी इस प्रवृत्ति को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया है:-

"नव गति नव लय ताल छन्द नव
नवल कंठ, नव जलद-मन्द्र रव
नव नभ के नव विहग वृन्द को
नव पर नव स्वर दे।"

2) देश प्रेम एवं राष्ट्रीय चेतना:-

छायावादी काव्य को जो लोग पलायनवादी काव्य मानते हैं वे बहुत भूल में हैं। प्रायः सभी छायावादी कवियों ने देश प्रेम और राष्ट्रीय चेतना सम्बन्धी कविताएँ लि" हैं। इस दृष्टि से निराला का काव्य अधिक प्रखर है। उनके काव्य में देश प्रेम की उदात्त अभिव्यक्ति हुई है।

उसमें स्वदेश और समाज के जागरण की उत्कट इच्छा
और सब प्रकार की पराधीनता से मुक्ति की प्रबल आकांक्षा है। यथा-

"योग्य जन जीता है,
पश्चिम की उक्ति नहीं-
गीता है, गीता है -
स्मरण करो बार -बार
जागो फिर एक बार
तुम हो महान, तुम सदा हो महान,
है नश्वर यह दीन भाव, कायरता, कामपरता।
ब्रह्म हो तुम
पदरज भर भी हैं नहीं
पूरा यह विश्वभार
जागो फिर एक बार।

3) प्रेम और सौन्दर्य की अभिव्यक्ति :-

छायावादी काव्यधारा में प्रेम और सौन्दर्यानुभूति का प्राधान्य है। निरालाजी प्रेम और सौन्दर्य के कवि हैं। उनके प्रेम और सौन्दर्य संबंधी काव्य में सुखद तन्मयता, पवित्रता और आत्मतुष्ट करनेवाली अनुभूति है, विलास या वासना नहीं। यथा -

"धीरे - धीरे फिर बढ़ा चरण, बाल्य की केलियों का प्रांगण
कर पार, कुञ्ज तारुण्य सुघर आई, लावण्य भार थर -थर
काँपा कोमलता पर ...,
ज्यों मालकोश नव वीणा पर।

4) प्रकृति के प्रति प्रेम :-

छायावादी काव्य में प्रकृति के प्रति गहरा आकर्षण और प्रेम दिखाई देता है। सभी छायावादी कवियों ने प्रकृति के मनोरम चित्र अंकित किए हैं। निरालाजी ने प्रकृति को चेतन सत्ता के रूप में स्वीकार करके, उसे मानवीय परिस्थिति का एक रूप माना है। प्रकृति का अधिकांश वर्णन उन्होंने स्थल - प्रसंगों के रूप में किया है।

संध्यासुन्दरी, बादल राग आदि कविताओं में उन्होंने प्रकृति के रूप, रंग, ध्वनि, गंध, स्पर्श के बीच संवेदनीय अनुभवों एवं मानसिक संवेगों के उतार-चढ़ाव को वाणी दी है। संध्या-सुन्दरी कविता में प्रकृति कविता में प्रकृति का मानवीय रूप दर्शनीय है –

"दिवसावसान का समय
मेघमय आसमान से उतर रही है
वह संध्या सुन्दरी परी-सी
धीरे-धीरे-धीरे।
तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास,
मधुर-मधुर है उसके दोनों अधर
किन्तु जरा गंभीर-नहीं है उनमें हास-विलास।

5) अप्रस्तुत विधान :-

अप्रस्तुत योजना (अलंकार योजना) में कविवर निराला अत्यन्त निपुण हैं। उन्होंने सबसे अधिक उपमा, रूपक, समासोक्ति, मानवीकरण आदि अलंकारों को अपनाकर अत्यन्त सुन्दर, प्रभावशाली और हृदयहारी चित्र अंकित किए हैं। उपमा अलंकार का यह उदाहरण दर्शनीय है जिसमें संध्या को परी के समान कहा गया है –

"दिवसावसान का समय
मेघमय आसमान से उतर रही है
वह संध्या-सुन्दरी परी-सी
धीरे-धीरे-धीरे।"

6) आत्माभिव्यक्ति का स्वर :-

छायावादी काव्य में कवियों ने निजी अनुभूतियों, हर्ष विषाद, उत्साह-निराशा आदि को अभिव्यक्त किया है। निरालाजी ने भी निजी संघर्ष, द्वन्द्व, प्रेम, विराग, हताशा, सफलता-असफलता, उदासी आदि को व्यक्त किया है। प्रेम के साथ उनकी कविताओं में दुःख, व्यथा, जर्जरता, पराजय, पीड़ा, अवहेलना एवं व्यर्थता-बोध की झलक मिलती है। उनकी कविता में मूल्य-बोध और

और प्रार्थना - अर्चना को एक साथ देखा जा सकता है। मैं अकेला, ठूँठ, स्नेह निर्झर बह गया है, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति आदि कविताओं में व्यक्तिगत भावनाएँ प्रकट हुई है। यथा -

(i) मैं अकेला
देखता हूँ, आ रही
मेरे दिवस की सांध्यवेला।

पके आधे बाल मेरे,
हुए निष्प्रभ गाल मेरे,
चाल मेरी होती आ रही
हट रहा मेला। — मैं अकेला

7) नवीन छन्दों का प्रयोग :-

निराला प्रयोगशील कवि होने के कारण नित्य - निरन्तर नये छन्दों का प्रयोग करते रहे। उन्होंने छन्द मुक्त और मुक्त छन्द वाली कविताएँ लिखी। उन्होंने विषम मात्रिक, सममात्रिक, सान्त्यनुप्रास मुक्त एवं स्वच्छन्द छन्द वाली सब प्रकार की कविताएँ लिखकर अपनी प्रखर काव्य प्रतिभा का प्रमाण दिया है। यथा -

(i) अन्त्यनुप्रास मुक्त कविता -
वरदे, वीणावादिनि वर दे।
प्रिय स्वतंत्र-रव, अमृत - मंत्र नव
भारत में भर दे।

निराला की सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टि

कविवर 'सूर्यकान्त त्रिपाठी' निराला हिन्दी के युगान्तरकारी कवि हैं तथा छायावादी कवि चतुष्टय में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी कविता में नवजागरण का सन्देश है प्रगतिशील चेतना है तथा राष्ट्रीयता का स्वर विद्यमान है। मानव की पीड़ा, परतन्त्रता के प्रति तीव्र आक्रोश उनकी कविताओं में है तथा अन्याय एवं असमानता के प्रति विद्रोह की भावना उसमें सर्वत्र है। निराला की प्रमुख रचनाएं हैं - अनामिका, परिमल, अपरा, गीतिका, बेला, नए पत्ते, आदि।

निराला की रचनाओं में आक्रोश एवं विद्रोह की प्रधानता है जिसे डॉ. रामविलास शर्मा ने ओज और औदात्य कहा है। परिस्थितियों के घात-प्रतिघात ने उन्हें उद्बुद्ध, सचेत एवं जागरूक कवि के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। अन्याय, अत्याचार एवं असमानता के विरुद्ध वे जीवन भर संघर्ष करते रहे। मानव की पीड़ा ने उनके संवेदनशील हृदय को करुणा प्लावित कर दिया था। उच्च वर्ग की विलासिता एवं निम्न वर्ग की दीनता को देखकर वे अपने हृदय में गहन वेदना, टीस एवं छटपटाहट का अनुभव करते थे। सामाजिक विषमता के विरुद्ध वे प्रभावी आवाज उठाते रहे। उनके काव्य का मूल स्वर क्रान्तिकारी एवं मानव कितना दयनीय बन गया है उसकी अभिव्यक्ति निम्न पंक्तियों में हुई है:

> "चाट रहे जूठी पतल वे कभी सड़क पर खड़े हुए।
> और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी अड़े हुए।"

'बादल राग' कविता में कवि बादल से यह अनुरोध करता है कि वह विश्व के धनिक वर्ग पर अपने प्रचण्ड वज्र घोष से आतंक स्थापित करे और विप्लवकारी गर्जना करे। कृषकों के प्रति भी कवि को सहानुभूति है। बादलों का आवाहन करता हुआ वह कहता है कि हे वीर बादलो! तुम भारत के इन दीन-हीन किसानों की पुकार को सुनकर यहाँ विप्लव मचाने के लिए अवश्य पधारो। कवि की

इन क्रान्तिकारी भावनाओं से यह बोध होता है कि कवित्र निराला सामाजिक विषमता को दूर करके सामाजिक समता स्थापित करना चाहते थे। पूंजीपतियों को वे आइना दिखाकर कहते है कि तुम्हारी यह रंगो आब, चमक-दमक गरीबो के शोषण पर आधारित है। ऐसे पूंजीपतियों को वे प्रतीकात्मक शैली में फटकारते हुए कहते है:-

"अबे सुन बे गुलाब।
भूल मत, जो पाई खुशबू रंगो आब।
खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट
डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट।"

निराला जी के काव्य में सामाजिक विषमता के प्रति तीव्र आक्रोश सर्वत्र दिखाई देता है। 'भिक्षुक', 'वह तोड़ती पत्थर' जैसी कविताएं गरीबों के प्रति सहानुभूति से भरी हुई हैं। इस पंक्तियों में सहज रूप में हुई है:

देखते देखा मुझे तो एक बार
उस भवन की ओर देखा छिन्न तार
देख कर कोई नहीं
देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं
सजा सहज सितारा।"

निराला एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जो शोषण मुक्त हो, जहां अन्याय एवं अत्याचार के लिए कोई स्थान न हो। वे समता, स्वतन्त्रता, न्याय के समर्थक थे और सामाजिक विषमता को हर स्तर पर समाप्त करना चाहते थे।

भारतीय समाज में 'विधवा' की स्थिति कितनी दयनीय है, इसकी अभिव्यक्ति उन्होंने अपनी 'विधवा' शीर्षक कविता में की है:

वह इष्टदेव के मन्दिर की पूजा-सी
वह दीप शिखा-सी शान्त भाव में लीन
वह क्रूर ताण्डव की स्मृति रेखा-सी
वह टूटे तरु की छुटी लता-सी दीन

दलित भारत की है विधवा है।

भारत की विधवा नारी अपने आधार तरु से अलग पड़ी सुकुमार लता के समान दीन-हीन एवं दयनीय होती है।

निराला ओज और औदात्य के कवि हैं। भारत की परतन्त्रता के प्रति वे जनता को जागरूक करना अपना परम कर्तव्य मानते हैं। 'जागो फिर एक बार' कविता में उन्होंने भारतीय वीरों को अंग्रेज रूपी गीदड़ो का सफाया कर देने का आह्वान किया है।

निराला की कविताओं में पूंजीपतियों के प्रति आक्रोश एवं सामाजिक विषमता के प्रति विक्षोभ विद्यमान है। वे जनता को क्रांति के लिए प्रोत्साहित करते हैं। गंगा किनारे बैठे रहने वाले निठल्ले साधु-संन्यासियो के प्रति जनता की श्रद्धा-भक्ति पर वे करारा व्यंग्य करते हैं।

निराली की दृष्टि से तत्कालीन जीवन का कोई दृश्य छूटा नहीं है। अपने व्यंग्यो से उन्होंने तत्कालीन सामाजीक चेतना को झकझोरने का प्रयास किया है। कभी वे सामंतवादी व्यवस्था पर प्रहार करते हैं तो कभी जमींदारों और अंग्रेजों के अत्याचार का पर्दाफाश करते हैं।

इस विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निराला ने 'जगत एवं जीवन' में व्याप्त विसंगतियो पर करारे प्रहार किए हैं। वे विचारों से क्रान्तिकारी एवं दीन-दुखियों के समर्थक कवि हैं। शोषकों, साम्राज्यवादियों एवं पूंजीपतियों के प्रति उनके मन में आक्रोश है। वे शोषण के विरोधी हैं। राष्ट्रभक्ति, स्वातन्त्र्य चेतना एवं आत्मगौरव के भाव उनमें व्याप्त हैं। निर्विवाद रूप से यह माना जा सकता है कि निराला ने युग चेतना के अनुरूप ही अपनी सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टि विकसित की है।

महत्व, अवदान एवं हिन्दी साहित्य में स्थान

डॉ. प्रेमशंकर त्रिपाठी के मतानुसार कवि निराला हमारी सांस्कृतिक परम्परा के उन्नायक रहे हैं। ..वे किसी एक वाद या धारा से जोड़े नहीं जा सकते। चाहे विवेकानन्द का नव्य वेदान्त हो या साम्यवादी जीवन-दर्शन, चाहे भारतीय संस्कृति की पारम्परिक दृष्टि का अनुगमन हो या नवीन पंथों की अधुनातन दृष्टि - वे हर पथ के पथिक तो नजर आते हैं। ..... अन्ततः यह कहा जा सकता है कि निराला का समग्र साहित्य 'तमसो मा ज्योतिर्गमय', 'असतो मा सद्गमय' और 'मृत्योर्माऽमृतं गमय' मंत्रों की व्याख्या है।"

निराला क्रांतिकारी, स्वभावतः विद्रोही एवं नवीनता के आग्रही रचनाकार थे। उन्होंने हर दृष्टि छायावाद प्रगतिवाद आदि वादों और अलग हटकर कविताएँ लिखते रहे। उन्होंने हर दृष्टि से प्रयोग किया। छन्दों में सर्वप्रथम उन्होंने ही क्रांति की, नवीन प्रयोग किए। शैली की दृष्टि से भी वे अन्य रचनाकारों से भिन्न और आगे रहे। भाषा, शैली, शब्द विन्यास, बिम्ब विधान, अलंकार, प्रयोग सब में उन्होंने नवीनता लाकर उसे समृद्ध किया।

हिन्दी साहित्य में निराला जी का एक विशिष्ट स्थान
है। निराला का साहित्य विश्व मानवता, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद
और मानव-मूल्यों का साहित्य है। उनके साहित्य में
छायावादी तथा प्रगतिवादी दोनों ही प्रवृत्तियों का समन्वय
देखा जा सकता है।

यदि उनके काव्य का तटस्थ विश्लेषण किया जाये तो
उसमें छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद तथा नयी कविता
की विशेषताओं को देखा जा सकता है।

निराला के काव्य में तत्व ज्ञान, रहस्यवाद तथा सामाजिक
चेतना का सुन्दर समावेश हुआ है।

निष्कर्ष

निराला हिन्दी में मुक्त छंद के लिये प्रसिद्ध है। वे स्थितियों के संश्लेषण में कम से कम से कम शब्दों द्वारा अधिक से अधिक भाव पक्ष प्रकट करते हैं। नाद-योजना का उनकी काव्यात्मकता में विशिष्ठ स्थान है। यही कारण है कि उनकी कविता में कभी कभी दुरूहता आ जाती है।

निराला में प्रारम्भ से ही छायावाद से साथ-साथ सरल और बोलचाल की भाषा में जीवन के विषय-यथार्थ को अभिव्यक्त-करने की प्रवृत्ति रही है। यह महत्व निराला को ही प्राप्त है कि नई हिन्दी कविता की सभी प्रवृत्तियों के कवि अपना संबंध निराला से जोड़ने में गौरव का अनुभव करते हैं। उनकी अधिकांश रचनाओं में भाषा तत्सम बहुल है और उनमें समासो की अधिकता है। परंतु कुछ प्रगतिवादी रचनायें आम बोलचाल की भाषा में भी काव्यबद्ध हुई हैं। इससे यह तो पता चलता ही है कि भाषा के विविध रूपों पर उनका समान अधिकार था।

संदर्भ

इंटरनेट के निम्नलिखित वेबसाइट एवं लिंक जिसकी सहायता से मेरी परियोजना। कार्य पूर्ण हो पाया है:-

1) https://www.hindi-Kavita.com
2) https://targetnotes.com
3) https://www.advancedjournal.com